हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

अप्रैल, 2012 वर्ष 11 अंक 02

सम्पादक

डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

सहायक

मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय

मासिक सच्चा राही

मजलिसे सहाफ़त व नशरियात

पो0 बॉ0 नं0 93

नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ

फोन : 0522–2740406

फैक्स : 0522–2741221

E-mail : nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 12/-
वार्षिक	₹ 120/-
वशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें

"सच्चा राही"

पता

सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात

नदवतुल उलमा, लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

सच्चा राही

वर्ष ग्यारह में किया
हमने है प्रवेश
सच्चा राही नाम हमारा
नदवा अपना देश
अल्लाह ही को तुम पूजना
पूजा नबी से सीखना
नबी मुहम्मद लाएं हैं
अल्लाह का सन्देश
यही बताने के लिए
सच्चा राही निकला है
यह तो घर–घर जाएगा
रहेगा न घर शेष

इदारा

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
इस्लाम क्या है ?	डॉ० हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जगनायक	हज़रत मौ० सै० मु० राबे हसनी नदवी	8
इस्लाम के अलावा कोई और	मौलाना वाज़ेह रशीद हसनी नदवी	10
सामाजिक मर्यादाएं, व्यवहार एवं इस्लाम	डॉ० रज़ीउल इस्लाम नदवी	12
अक़्लमन्द इन्सान की पहचान	हैदर अली नदवी	22
जीव हत्या की वास्तविकता	डॉ० मुहम्मद अहमद	24
इस्लाम और ज़ीनत	मुफ़्ती मुहम्मद कमालुद्दीन राशदी	29
आदर्श शासक	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	31
अल्लाह के रसूल सल्ल०	हज़रत मौलाना अली मियाँ रह०	32
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी	36
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ० मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुर्आन की शिक्षा

-मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बक़र:

अनुवाद: और तू देखेगा उन सब लोगों को अधिक लोभी जीवन हेतु, और अत्यधिक लोभी बहुदेववादियों से भी, चाहता है उनमें कि पाये उम्र हज़ार बरस, और नहीं उसको बचाने वाला अज़ाब (ईश्वरीय दण्ड) से इस कदर जीना, और अल्लाह देखता है जो कुछ वह करते हैं[1(96)]। तो कह दे जो कोई होवे दुश्मन जिब्रील का, तो उसने तो उतारा है ये कलाम (वाणी) तेरे दिल पर अल्लाह के आदेश से, सच्चा बताने वाला है उस वाणी को जो उसके पहले है, और राह दिखाता है और खुशखबरी सुनाता है ईमान वालों को[(97)], जो कोई होवे दुश्मन अल्लाह का, और उसके फरिश्तों का और उनके पैगम्बरों और जिब्रील और मीकाईल का तो अल्लाह दुश्मन है उन काफिरों का[2(98)]। और हमने उतारीं तेरी ओर आयतें रौशन, और इन्कार न करेंगे उनका मगर वही जो नाफरमान हैं[(99)], क्या जब कभी बाँधेंगे कोई क़रार तो फेंक देगा उसको एक समूह उनमें से, बल्कि उनमें अक्सर नहीं यकीन करते[3(100)]। और जब पहुँचा उनके पास रसूल (सन्देष्टा) अल्लाह की ओर से तस्दीक करने वाला उस किताब की, जो उनके पास है तो फेंक दिया एक समूह ने अहले किताब से किताबुल्लाह (ईश्वरीय ग्रन्थ) को अपनी पीठ के पीछे, मानो वह जानते ही नहीं[4(101)]।

तफ्सीर (व्याख्या):-

1. अर्थात यहूदियों ने ऐसे बुरे काम किये हैं कि मौत से बहुत ही बचते हैं और डरते हैं कि मरते ही ख़ैर नहीं नज़र आती, यहाँ तक कि बहुदेववादियों से अधिक जीने की लालसा रखते हैं, उससे उनके दावों की पोल खुल गई।

2. यहूदी कहते थे कि जिब्रील फरिश्ता उस नबी के पास "वही" लाता है और वह हमारा दुश्मन है, हमारे अगले बड़ों को उससे बहुत तकलीफें पहुँची। यदि जिब्रील के अलावा कोई अन्य फरिश्ता "वही" लाये तो हम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाएं। इस पर अल्लाह ने कहा कि फरिश्ते जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह के आदेश से करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, जो उनका दुश्मन है अल्लाह बेशक उनका दुश्मन है।

3. अर्थात उनकी पुरानी आदत है कि जब अल्लाह अथवा रसूल या किसी आदमी से कोई करार लेते तो उन्हीं में का एक समूह क़रार को पीछे डाल देता है बल्कि बहुत से यहूदी ऐसे हैं जो तौरेत पर ईमान नहीं रखते, ऐसे लोगों को क़रार में क्या झिझक हो सकती है।

4. "रसूल" से मुराद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और "मा मअहुम" से तौरेत और "किताबुल्लाह" से भी तौरेत मुराद है। अर्थात जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

शेष पृष्ठ..........7 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आराम का तरीक़ा

–अमतुल्लाह तस्नीम

हज़रत अबू क़तादा रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब रात को उतरते थे तो अपने दायें पहलू पर आराम करते थे और जब सुबह से पहले उतरते तो अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लेते थे और हथेली पर पवित्र सर टेक लेते थे। (मुस्लिम)

रात को सफर करने की हिदायत– हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, तुमको ज़रूर रात को सफर करना चाहिए, इसलिए कि ज़मीन रात को लपेटी (अर्थात रात को ज़मीन कम मालूम होती है) जाती है।

(अबूदाऊद)

सफर में एक काफिले के लोगों को इकट्ठा उतरना चाहिए–

हज़रत अबू सअलबा खुश्नी रज़ि0 से रिवायत है कि लोग जब किसी मंजिल पर उतरते तो घाटियों में अलग–अलग उतरते थे। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि उन घाटियों में तुम्हारा अलग–अलग उतरना शैतान की ओर से है। बस उसके बाद कोई अलग होकर नहीं उतरा, सब आपस में मिल–जुल कर उतरते थे।

(अबूदाऊद)

सवारी का ख्याल– हज़रत सहल रज़ि0 बिन रबीअ बिन अम्र से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक ऊँट के पास से गुज़रे, उसका पेट पीठ से लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, उन बेजबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, उनको अच्छा खिलाओ और अच्छी तरह उन पर सवारी करो।

(अबूदाऊद)

शौच के लिए पर्दे की जगह बेहतर है– हज़रत अबू जाफर अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन अपने पीछे मुझे सवार किया और एक राज़ की बात मुझे बताई जो मैं किसी से न बताऊँगा और आपको पाखाना–पेशाब के आड़ के लिए दीवार या खजूर का झुण्ड बहुत पसन्द था। (मुस्लिम)

जानवरों की रिआयत– बरक़ानी ने मुस्लिम की सनद से इतना और ज़्यादा कर दिया कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक अन्सारी के खजूर के बाग़ में गए, वहाँ आपने एक ऊँट को देखा, वह ऊँट हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देख कर बिलबिलाने लगा और उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके पास गए और उसके कोहान के पीछे हाथ फेरा और कहा, ये किसका ऊँट है? एक नौजवान अंसारी ने कहा, ये मेरा ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, जानवरों के बारे में जिनका अल्लाह ने तुमको

शेष पृष्ठ...........7 पर

इस्लाम क्या है?

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने कुछ सहाबा के बीच बैठे हुए थे कि एक शख़्स आया, जिसके कपड़े साफ़ सुथरे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सफर करके आया हो, मगर वह सहाबा के लिए अन्जाना था, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बिल्कुल करीब सामने बैठ गया और पूछना शुरु कर दिया। पहली बात उसने पूछी इस्लाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब दिया, इस्लाम यह है कि गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और गवाही दो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज़ कायम करो, जकात अदा करो, रमजान के रोज़े रखो, और इस्तिताअ़त पर हज करो। पूछने वाले ने कहा, आपने सच कहा, सहाबा को हैरत हुई कि खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब की तस्दीक़ (पुष्टि) करता है।

फिर उसने पूछा ईमान क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया, ईमान यह है कि ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कियामत के दिन पर और तक़्दीर पर अच्छी हो या बुरी वह अल्लाह ही की तरफ से है।

पूछने वाले ने फिर कहा आप ने सच कहा, सहाबा को फिर हैरत हुई कि खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब की तस्दीक करता है।

फिर उसने पूछा एहसान क्या है? आपने फरमाया कि एहसान यह है कि अल्लाह की इबादत इस कैफियत के साथ करो कि तुम जैसे अल्लाह को देख रहे हो और अगर यह नहीं हो सकता तो यह ख्याल करो कि अल्लाह तो तुमको देख ही रहा है। फिर उसने पूछा कि कियामत कब आएगी, तो आपने फरमाया, इसकी जानकारी में पूछने वाला और जिससे पूछा जा रहा है दोनों बराबर हैं (यानी इसका इल्म अल्लाह ही को है)। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कियामत की कुछ निशानियाँ बताई उनका ख़ुलासा यह है कि गुनाह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर वह शख़्स चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा से पूछा, जानते हो यह पूछने वाला कौन था? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं (हम लोग उससे वाकिफ नहीं हैं)। आपने फरमाया, यह हजरत जिब्रील थे, तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। यह हदीस का मफ्हूम है जिसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने वालिद हज़रत उमर रज़ि0 से बयान किया है, जो सहीह मुस्लिम की किताबुल ईमान में दर्ज है। सवाल यह है कि क्या यह ईमान वालों को मुत्तहिद और मुत्तफिक़ करने के लिए काफी नहीं है? बेशक है।

सब मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सब मानते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल है, सब मानते हैं कि पाँच वक्त

की नमाज़ फर्ज़ है, सब मानते हैं कि नमाज़ के लिए पाकी व तहारत ज़रूरी है, उसके लिए औकात मुकर्रर हैं, फर्ज़ नमाज़ जमाअत से पढ़ना ज़रूरी है, सब मानते हैं कि माल (जो निसाब के बराबर हो) उस पर जकात फर्ज है, सब मानते हैं कि रमज़ान के रोज़े फर्ज़ हैं, सब मानते हैं कि हज के ज़माने में मक्का मुकर्रमा पहुँचने की इस्तिताअत हो तो जिन्दगी में एक बार हज फर्ज़ है, सब मानते हैं कि अल्लाह अपने नामों और सिफ़ात के साथ जैसा है उस पर ईमान लाना और उसके सारे हुक्मों को कबूल करना फ़र्ज़ है, सब फरिश्तों पर ईमान रखते हैं जिनकी गिनती अल्लह ही को मालूम है, उनमें जिब्रील व मीकाईल व इस्राफील और इज्राईल (अ0) मुकर्रब व मशहूर हैं, सब मानते हैं कि आसमानी किताबें चार हैं, तौरात, ज़बूर, इन्जील और कुरआन मजीद और बाज़ पैगम्बरों पर सहीफ़े भी उतरे हैं, मगर पिछली सारी किताबें मन्सूख हैं, अब सिर्फ कुरआन अपनी सही हालत में मौजूद है, और सब उसकी ख़बरों और अहकाम को कुबूल करते हैं। सब मानते हैं कि अल्लाह ने अपने बन्दों की हिदायत के लिए नबी—रसूल भेजे, जिनकी गिनती अल्लाह ही को मालूम है, बहुत से नबियों के नाम कुरआन मजीद में आये हैं, सबसे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। आपके बाद और कोई नबी नहीं आएगा, आप पर कुर्आन मजीद उतरा, आपने उम्मत को जो तअलीम अपने अमल और कौ़ल से दी वह सब अहादीस की किताबों में महफूज़ हैं, अहादीस की जो किताबें बुनियादी मानी गई हैं वह यह हैं: बुखारी, मुस्लिम, नसई, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद और इब्निमाजा, और भी अहादीस की मोतबर किताबें हैं। सब मानते हैं कि अब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान के बिना और आपकी सभी बातें माने बिना नजात नहीं मिल सकती, सब मानते हैं कि कियामत आएगी, हिसाब— किताब होगा और फिर जन्नत या जहन्नम की ज़िन्दगी है, सब मानते हैं कि कब्र में नकीरैन सवालात करेंगे, कब्र में आराम या अज़ाब अमल के मुताबिक़ हक है, कियामत के हिसाब—किताब में बाज़ ईमान वाले भी अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में डाले जाएंगे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफारिश पर या बाज़ दूसरे सुलहा की सिफारिश पर जहन्नम से निकाले जाएंगे। सब मानते हैं कि तक्दीर बरहक है अच्छी हो या बुरी अल्लाह की लिखी हुई है। इजतिहादी इख़्तिलाफ़ात को भी सबने मान लिया और मान लिया कि हनफी, मालिकी, शाफई, हंबली और अहले हदीस सब हक पर हैं, फिर आज उम्मत में इख़्तिलाफ व इफ्तिराक़ (फूट) यहाँ तक कि दुआ सलाम तक क्यों बन्द है?

अहले हदीस का यह कहना कि तक्लीद शिर्क है यह उनकी गलत फहमी के सबब है, मुक़ल्लिदीन अइम्मा को शारेअ़ नहीं मानते बल्कि शारिअ़ अलैहिस्सलाम की बातों का शारेह मानते हैं, हर अहले हदीस अहादीस के मआ़नी मतलब पर उबूर नहीं रखता, वह किसी बड़े आलिम की तक्लीद करता है, बस मुक़ल्लिदीन ने जिस इमाम को मोतबर जाना उनकी तशरीहात व मफाहीम और इस्तिंबात पर

अमल किया यह शिर्क कैसे हुआ? रहे देव बन्दियों और बरेलियों के इख़्तिलाफ़ात तो महज़ ज़िद और हठधर्मी पर हैं, उनमें एक इख़्तिलाफ़ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ात और इख़्तियारात पर है, इस सिलसिले में अगर जुज़यात और बारीकियों में न पड़ा जाए तो कोई इख़्तिलाफ न रहे, कुल्ली तौर पर दोनों फरीक़ मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं, आपको अल्लाह ने बहुत सारी खुसूसियात अता फरमाई हैं, उन सबको दोनों फ़रीक़ मानते हैं, फिर इस बारीकी में जाने की क्या ज़रूरत है कि फुलाँ चीज़ का इख़्तियार दिया, फुलाँ चीज़ का इल्म दिया, फुलाँ का नहीं, इन जुज़यात में न पड़ा जाए, बस यह मान लिया जाए कि अल्लाह ने आपको जो इख़्तियारात दिये और जो उलूम दिये हम सब को मानते हैं। अब कुर्आन व हदीस की शक्ल में जो हम पर ज़ाहिर हुए उनको तस्लीम करते हैं और जो नहीं ज़ाहिर हुए जिनका इल्म अल्लाह और उसके रसूल को है उन सबको मानते हैं, क्या उम्मत में इत्तिहाद के लिए यह काफ़ी नहीं है? बेशक काफ़ी है। दूसरा इख़्तिलाफ़ बाज़ बिदआत में हैं, अगर हम दौरे अव्वल पर नज़र डालें और संजीदगी से ग़ौर करें तो यह भी आसानी से हल हो सकता है, क्या हम लोग सहाबा–ए–किराम से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अक़ीदत व मुहब्बत रखने वाले हैं? क्या उनके ज़माने में आजकल जिस तरह मीलाद पढ़ते हैं, क्या सहाबा भी इस तरह मीलाद करते थे? बद्र, उहद, हुनैन में जितने सहाबा शहीद हुए, जमल, सिफ़्फ़िन में तकरीबन साठ हज़ार लोग मारे गये उनमें जितने सहाबी थे, क्या उनका उर्स, किसी के तीजे, चालीसवें का ज़िक्र कहीं मिलता है? तो जो लोग इन बिदआत से बचते हैं वह बुरे क्यों हैं? कुछ लोगों ने इन आमाल को बिद्अते हसना कह कर अपनाया है तो जिन्होंने इसे बिदआत समझ कर छोड़ा वह बुरे क्यों हुए? रहे बाज उलमाए हक पर बाज़ इलज़ामात, वह महज़ इलज़ामात हैं, जिन्हें दुश्मनाना जेहनियत ने गढ़ा है। हम को चाहिए कि हम उम्मत में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक पैदा करने की कोशिश करें। ❑❑

कुर्आन की शिक्षा............

तशरीफ लाये, हालाँकि वह तौरेत वगैरह किताबों को मानने वाले थे तो यहूद के एक समूह ने स्वयं तौरेत को पीठ पीछे ऐसा डाल दिया कि मानो वह जानते ही नहीं कि ये किताब है और उनमें कोई आदेश है, अतः जब उनको अपनी ही किताब पर ईमान नहीं तो उनसे आगे की क्या उम्मीद की जाए।

प्यारे नबी की प्यारी बातें........

मालिक बनाया है उसको पेट भर कर नहीं खिलाते और उससे मेहनत लेकर उसको थकाते हो। (इसको अबूदाऊद ने बरक़ानी की तरह बयान किया है)।

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि हम लोग जब किसी मंजिल पर उतरते थे तो उस वक्त तक नमाज़ नहीं पढ़ते थे, जब तक ऊँटों के पालान न खोल लेते थे।

(मुस्लिम)

❑❑

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातें उर्दू में पढ़ने के लिए "जादे सफ़र" पढ़ें।

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी —अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

मदीने की हिजरत-

इधर आप के क़त्ल की साज़िश हो चुकी थी, और आपके घर का मुहासिरा अभी बाक़ी था कि अल्लाह तआला की तरफ से हिजरत का हुक्म आ गया, चुनांचे मुहासिरे के वक़्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ लोगों की अमानतों का मुकम्मल इन्तिज़ाम करके (अल्लाह आपकी हिफाज़त करेगा लोगों से) सिपर (ढ़ाल) लिये घर से बाहर निकले, और उनकी आँखों में खाक डालते हुए सूरह "यासीन" पढ़ते हुए साफ़ निकल गए, किसी को आपके जाने की भनक तक न लगी, यह वाक़िया 27 सफर 13 नबवी बुध के दिन का है[1]।

इससे पहले दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत की इजाज़त मिलने पर हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के पास तशरीफ़ लाए थे और ज़िक्र फरमाया था कि अल्लाह तआला ने मुझे यहां से निकलने और हिजरत की इजाज़त अता फ़रमा दी है, हज़रत अबू बक्र ने कहाः रफ़ाक़त व सुहबत का तलबगार हूँ, आपने फ़रमायाः हाँ तुम ही रफ़ीक़ रहोगे, उसके बाद दो सवारियां पेश कीं, और अब्दुल्लाह बिन अरीक़त को बतौर रहबर के मुआवज़े पर तय कर लिया, रात में जब आप अपने घर से हिज़रत के लिए निकले और हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के मकान पर पहुँचे तो हज़रत अबू बक्र की बेटी हज़रत अस्मा ने रास्ते के लिए सत्तू ज़ादे राह (सफर का खाना) के तौर पर तैयार करके कमर के पट्टे को काट कर सत्तू के थैले का मुंह बांधा, बाहर निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने काबे की तरफर देखा और कहाः मक्का! तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अज़ीज़ है, लेकिन तेरे फ़रज़न्द (बेटे) मुझको रहने नहीं देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र रज़ि0 अंधेरी रात में मक्के से छुपते—छुपाते रवाना हुए, रास्ता पथरीला था, नुकीले पत्थर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाए मुबारक को ज़ख़्मी कर रहे थे और ठोकर लगने से तकलीफ़ होती थी, मक्का से चार—पांच किलो मीटर की दुश्वार गुज़ार मसाफ़त तय करने के बाद सौर नामी पहाड़ की बुलन्दी पर वाक़े एक ग़ार में पहुंचे, हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बाहर ठहराया और खुद अन्दर जाकर ग़ार साफ़ किया और अपने कपड़े फ़ाड़—फ़ाड़ कर ग़ार के सूराख़ बन्द किये और फिर अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अन्दर तशरीफ ले आएं। यहां तीन दिन मुक़ीम रहे और चौथे रोज़ आगे की तरफ़ रवाना हुए, दौराने कयाम हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र घर से खाना पहुंचा जातीं, अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र मक्के वालों की बातें सुना जाते, आमिर बिन फुहैरा वहां बकरियां ले आते और दूध

---

1. सही बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब बाब हिजरतुन नबी व असहाबिही इलल मदीना, मुसनद अहमद, 1/348, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ 5/389, जादुल मआद 3/50

पहुंचा कर वापस चले जाते[1]।

सुराक़ा बिन जोशम का वाक़िया-

इधर कुरैश ने इश्तिहार (विज्ञापन) दिया कि जो शख़्स मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या अबू बक्र रज़ि0 को गिरफ़्तार करके लाएगा उसको एक खूं बहा की क़ीमत के बराबर सौ ऊँट इनाम दिया जाएगा, सुराक़ा बिन जोशम ने सुना तो इनआम की लालच में निकला, ठीक इस हाल में कि आप मक्का से निकल कर क़रीबी रास्ते में थे, उसने आपको देख लिया और घोड़ा दौड़ा कर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़ा, उसने अपने तरकश से फाल के तीर निकाले ताकि फ़ाल ले कि हमला करना चाहिए या नहीं, जवाब में "नहीं" निकला, लेकिन सौ ऊँटों का गरांबहा (बहुमूल्य) मुआवज़ा ऐसा न था कि तीर की बात मान ली जाती, दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा, अब की बार (रेतीली ज़मीन में) घोड़े के पांव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए, घोड़े से उतरना पड़ा, फिर फाल देखी, अब भी वही जवाब था, लेकिन दोबारा तजुरबे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी और यक़ीन हो गया कि यह कुछ और आसार हैं, चुनांचे आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आवाज़ दी कि सिर्फ बात करना है, और पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़िया सुनाया (और अपने इरादे से बाज़ आ जाने का ज़िक्र किया) और दरख्वास्त की कि मुझको अम्न की तहरीर (ज़मानत नामा) लिख दीजिए, हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के गुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर शान्ति का फ़रमान लिख दिया[1]।

उम्मे मअ़बद का वाक़िया- रास्ते में कुरैश और उनके हलीफ़ (दोस्त) बनू कनाना के इलाक़े से निकल कर जब बनू खज़ाआ के इलाक़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पहुंचे तो चूंकि बनू ख़ज़ाआ कुरैश से दोस्ती नहीं रखते थे इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके इलाक़े में सफ़र की पोशीदगी (छुपना) ख़त्म कर दी, कि अब इस इलाक़े में नुकसान का ख़तरा कम है, उस इलाक़े में दाखिल होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ग़िज़ा की ज़रूरत महसूस हुई तो वहीं एक खेमे के पास ठहर कर अरबों के दस्तूर के मुताबिक़ मुसाफिर मेहमान की सूरत में सामने आये, यह खेमा खुज़ाआ क़बीले की खातून उम्मे मअ़बद का खेमा था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खातिर करनी चाही, लेकिन बकरी के थनों में दूध मालूम नहीं होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ की और थनों पर हाथ फेरा, अल्लाह तआला ने करम फ़रमाया और दूध आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने और आपके साथियों ने इस्तेमाल किया और ज़ाएद बचा भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सफ़र में रवाना हो गए। इस वाक़िये का ज़िक्र खुद उम्मे मअ़बद ने मसर्रत (खुशी) के साथ किया है[1]।

---

1. सीरते इब्ने हिशाम 1/485-488, दलाइलुल नबूवा बैहकी 1/111-112

1. सही बुख़ारी, मनाक़िबुल अन्सार, बाब हिजरतुन नबी व असहाबिही इलल मदीना, सीरते इब्ने हिशाम 1/189-490

1. तब्क़ात इब्ने सअ़द 1/230, अस्सीरतुन नबविया, इमाम ज़हबी 1/329

शेष पृष्ठ..........28 पर

इस्लाम के अलावा कोई और नजात की राह नहीं

—मौलाना वाज़ेह रशीद हसनी नदवी

मुसलमान दूसरी क़ौमों से कई एतबार से अलग हैं। अलग होने की पहली वजह ये है कि मुसलमान बीते हुए ज़माने में साम्राजी युग से पहले दुनिया की एक बड़ी ताक़त की हैसियत रखते थे और वो अफ़्रीक़ा और यूरोप के बहुत से इलाक़ों के शासक थे। अपने शासन के युग में उन्होने ज़िन्दगी और फ़िक्रो फ़न के बहुत से मैदानों में अपनी छाप छोड़ी है और वो इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हैं। और वो अपने शासक, उलमा, और अपने तिहास के गौरवशाली व्यक्तियों वर गर्व करते हैं, उनके लिए ये आसान नहीं है कि वो अपनी इज़्ज़त व शासन के युग को भूल जाएं जो वर्तमान युग से जुड़ा हुआ है।

दूसरा कारण ये है कि वो दीन जिसकी तरफ मुसलमान अपने को जोड़ते हैं वो दीन बरहक़ है और मुसलमान भरोसा करते हैं कि वो सम्पूर्ण दीन है और इसमें जीवन के हर भाग के लिए मार्गदर्शन है। वो ये भी यक़ीन रखते हैं कि वो खुद इस दीन के हामिल होने की वजह से सबसे बेहतर उम्मत हैं। ये एक फ़ितरी एहसास है जिसके लिए कई चीज़ें जवाज़ की वजह बन सकती हैं। ये दीन करीब ज़माने में दूसरे ज्ञान और नज़रियों पर ग़ालिब आया, इस दीन और इस पर अमल करने के कारण मुसलमान ने ज़िल्लत व मुसीबत और जिलावतनी की हालत से निकल कर इज़्ज़त व हुकूमत हासिल की और इस दीन ने केवल बद्दू व हबशी कबीलों की ज़िन्दगी ही नहीं बदली बल्कि उसका साया एशिया के चिक और अफ़्रीक़ा के वहशी क़बीले तक फ़ैल गया। जो क़बीले वहशी जानवरों की तरह ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे, उनकी ज़िन्दगी कानून के निज़ाम से आरी थी। लूटपाट व डाका डालना उनका पेशा था। उन क़बीलों ने जब इस्लाम कुबूल कर लिया और वो इस्लाम के साये में आ गये तो मानवीय मार्गदर्शन का स्तर और इल्मी क़यादत के मन्सब पर पहुँच कर सदियों तक दुनिय. के शासक बने रहे और उन्होंने उस समय के सभ्य देश का शासन संभाला और उनको तहज़ीब का पाठ पढ़ाया, उन क्षेत्रों में वर्तमान यूरोप के बहुत से देश थे। इस नये दीन ने कई सदियों से आपस में लड़ने वालों को एक क़ौम बनाया और उनकी मुश्किलों को हल किया और उनके दिलों को मुन्शरह किया और उन पर जो बेड़ियां पड़ीं थी उनसे आज़ाद किया और उनमें विचारक, फ़लसफी, मुदब्बिर और अर्थशास्त्र के माहिर पैदा हुए, जिन्होंने दूर—दराज़ के इलाक़ों के इन्तिज़ाम की ज़िम्मेदारी संभाली और असबियत, क़ौमियत और अनानियत से निजात दिलाई जो कि अलग—अलग गिरोहों और नस्लों में भेदभाव का कारण बनी हुई थी। दुनिया के हर इन्सान की योग्यताएं, इल्म व फन और अक़्ल व दानिश का जौहर इस्लामी राजधानी में जमा हो गया और सभी कोशिशें इस दीन के साये में परवान चढ़ीं।

ये दीन जिसकी तरफ़ मुसलमान इतना इन्तिसाब करते

हैं, आगे बढ़ने, जिहाद व दावत और अख़लाक़ का दीन है वो ऐसी ताक़त से मालामाल है जो हर मुर्दा चीज़ में ज़िन्दगी की रूह फूंक देती है, इस दीन पर अमल करके मुसलमान दाअी और सम्पूर्ण अख़लाक़ बनकर अपने इलाक़ों से निकले और जुल्म व इस्तबदाद की ताक़त से लोहा लिया और जो अल्लाह के रास्ते में निकले उन्होंने गोशा नशीनों के मुक़ाबले में श्रेष्ठ स्तर प्राप्त किया और जो ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर निकले उन्होंने पादरियों और गोशा नशीनों के मुक़ाबले में श्रेष्ठ स्तर प्राप्त किया। इन्सान को अन्याय व अन्धकार से निकालने और एक इन्साफ़ पसन्द समाज को अस्तित्व में लाने और अल्लाह तआला का तकर्रुब प्राप्त करने की ग़रज़ से उन्होंने इल्म हासिल किया। और दूर–दराज़ के इलाक़ों में फैल गये। इसके लिए अपनी जानें दीं, अपना माल ख़र्च किया और बातिल का मुक़ाबला किया।

दुनिया में दीन व हिकमत और दीन और इल्म के बीच फ़ासला पाया जाता है। इस्लाम ने ऐसे मैदानों में वहदत क़ायम की जो एक दूसरे के विपरीत समझे जाते थे। इस्लामी इतिहास में ऐसे बहुत से शासक पैदा हुए जो महान साम्राज्यों के मालिक होने के बावजूद अपनी ज़िन्दगी में ज़ाहिद थे। अपने हाथ की कमाई पर ज़िन्दगी बसर करते थे और अल्लाह के ख़ौफ़ से उनके दिल भरे हुए थे। ये एक बेमिसाल इत्तिहाद था, इस्लामी इतिहास में बहुत से फ़रमारवाओं की मिसालें मौजूद हैं जो एक वक्त में हाकिम भी थे और ज़ाहिद भी थे।

इस दीन ने अमीरी व ग़रीबी के बीच वहदत क़ायम की और ये एक ऐसी वहदत है जिसका इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता, यानि मालदार फ़क़ीर और फ़क़ीर ग़नी, और उन मालदार फ़क़ीरों की मिसालें इस्लामी इतिहास में बहुत हैं। इस दीन ने इन्सानियत की भलाई में एक और इन्कलाब बरपा किया और वो है इल्म और नफ़ी के इल्म के बीच वहदत पैदा करना, इसने यह कह करके गुरूर और घमन्ड को ख़त्म कर दिया (अनुवादः तुम्हें केवल थोड़ा ही इल्म दिया गया है) बहुत बड़े आलिमों को ये कहते हुए सुना गया कि मुझे इसका इल्म नहीं। इस सोच ने इल्म हासिल करने का दरवाज़ा खोल दिया और इस दीन ने कमज़ोर और ताक़तवर और मालदार और ग़रीब के बीच फ़ासला कम किया और एक दूसरे के बीच प्रेम व सहयोग की भावना उत्पन्न की, जो इस दीन पर गर्व करता है उसका गर्व सही है और ये दीन उस व्यक्ति के लिए इज़्ज़त व बुजुर्गी का सरचश्मा है जो इसको अपनाता और इस पर अमल करता है।

यही वो दीन है जो ग़ालिब रहने वाला है जिसने इसको थाम लिया और इसकी हिदायत पर अमल करने वाला हुआ और इसको अपने जीवन का मार्गदर्शक घोषित कर दिया वो भी ग़ालिब रहने वाला है। जिस तरह ये दीन दूसरे दीनों पर अधिपत्य रखता है और अपने विशेषताओं और अपने हक़ की प्राप्ति और ताअत में दूसरे दीनों के लोगों से खुले तौर पर अलग होता है, जिस तरह से इसका दीन दूसरे दीनों से अलग है, इसलिए हमेशा मुसलमान अपने दीन पर अमल करने के एतबार से इज़्ज़त व ज़िल्लत का अधिकारी होता है।

शेष पृष्ठ...........30 पर

सामाजिक मर्यादाएं, व्यवहार एवं इस्लाम

—डॉ० रज़ीउल इस्लाम नदवी

इस्लाम के बारे में जो आमतौर पर इल्जाम लगाए जाते हैं उनमें से एक यह भी है कि इस्लाम अलगाववाद की शिक्षा देता है। वह अपने अनुयायियों को अन्य धर्मावलंबियों से अलग—थलग रखना चाहता है। सद्व्यवहार, सहृदयता, समता, समानता, आपसी संबंध, सहायता और मधुर मानवीय संबंध में उसने जो शिक्षाएं व अनुदेश दिये हैं, वह केवल मुसलमानों के लिए हैं और अन्य धर्मावलंबियों के लिए उसके पास घृणा व अनादर के सिवा कुछ नहीं है। वह मुसलमानों को आज्ञा देता है कि अन्य धर्मावलंबियों के साथ किसी तरह का सम्बंध न रखें, उनके साथ किसी प्रकार की हमदर्दी, भलाई व सहयोग न करें, बल्कि उन्हें तंग करने, नीचा दिखाने और कष्ट पहुंचाने व अपमानित करने का कोई अवसर हाथ से न जाने दें। आज पूरी शक्ति से यह धारणा देने की कोशिश की जा रही है कि बाहुल्य धार्मिक समाज के लिए इस्लाम संतुलित व योग्य कदापि नहीं है। आज जबकि पूरा संसार सिमट कर एक गांव बन गया है, विभिन्न जातियों गिरोहों और धर्मों से सम्बंध रखने वालों के मध्य प्रतिपालन अनिवार्य है, ऐसे में इस्लाम की सामाजिक शिक्षाएं साम्प्रदायिक एकता की राह में एक बड़ी रुकावट हैं।

परन्तु इस्लामी शिक्षाओं के बारे में इस तरह की धारणाएं उचित नहीं हैं। यह सत्य है कि इस्लाम ने सैद्धान्तिक तौर पर मुस्लिम और जो मुस्लिम नहीं हैं, उनके मध्य अन्तर किया है। परन्तु इस अन्तर का कुछ भी प्रभाव मानवीय अधिकार और सम्बंध पर नहीं पड़ता। इस्लाम ने मनुष्य के जो मौलिक अधिकार निर्धारित किये हैं, उनसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभांवित होगा चाहे वह मुस्लिम हो या न हो। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए इस्लाम ने जो कुछ अनुदेश व शिक्षाएं दी हैं, वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए होंगी। एक ऐसा समाज जिसमें विभिन्न धर्म वाले रहते—बसते हों, उसके प्रत्येक व्यक्ति के आपसी सम्बंधों के बारे में इस्लाम का स्पष्ट आदेश है। इस्लामी शिक्षाओं के प्रकाश में यह संबंध घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, अनादर, वैमनस्य, सन्देह पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि उसका आधार मधुर व्यवहार, परस्पर सहायता एवं सहयोग, शुभ चिंतक, सुन्दर विचार आदि होगा। हम आगे उपरोक्त शिक्षाओं का एक बिंब प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे जो क़ुरआन और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाओं से प्रमाणित होगा।

ग़ैर-मुस्लिम माता-पिता व अन्य रिश्तेदारों के अधिकार- समाज में मनुष्य का सबसे निकट का संबंध माता—पिता और रिश्तेदारों से होता है, माँ—बाप उसे पाल—पोस कर बड़ा करते हैं। उसे इस क़ाबिल बनाते हैं कि वह जीवन में दौड़—धूप कर सके। रिश्तेदार विकास और उन्नति में सहायक होते हैं। इस्लाम माँ—बाप व रिश्तेदारों के साथ सद्व्यवहार का आदेश देता है। इस संबंध में वह

मुस्लिम ग़ैर–मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता। यदि किसी ने इस्लाम को सच्चा धर्म समझ कर स्वीकार किया हो, परन्तु उसके माँ–बाप ग़ैर मुस्लिम हों तो भी धर्म की भिन्नता उसे उनकी सेवा करने, उनकी देखभाल करने और उनके साथ सद्व्यवहार करने से नहीं रोकती। यही नहीं यदि उसके माता–पिता उसके इस्लाम स्वीकार करने से अप्रसन्न और क्रुद्ध हों और उस पर प्रत्येक प्रकार के दबाव डालें और उसे प्रताड़ित करें कि वह इस्लाम से फिर जाए, फिर भी इस प्रताड़ना से वह अपने माता–पिता की सेवा एवं उनके साथ अच्छे व्यवहार में तनिक कोताही न करे। कुर्आन में आया है "और यदि वे तुम पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे, जिसे तू नहीं जानता तो उसकी बात हरगिज़ न मान। अलबत्ता दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रह"। (क़ुरआन 31:15)

यह आयत उस समय अवतरित हुई थी जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आह्वान पर मक्का (कुरैश) के नवजवान इस्लाम स्वीकार कर रहे थे। और दूसरी ओर उनके माता–पिता, रिश्तेदार और परिवार के लोग उन्हें रोकने और इस्लाम से फेर कर पैतृक धर्म की ओर लाने के लिए प्रत्येक जतन कर रहे थे, और सफल न होने पर उन्हें शारीरिक यातनाएं दे रहे थे तथा संभव था कि वे नवजवान भी बदला लेने के लिए विवश हो जाते, ऐसे में उन्हें ताकीद की गयी कि वे इस्लाम विरोधी बातों को न मानें परन्तु सांसारिक व्यवहार में उनके साथ भले ढंग से व्यवहार करें।

हुदैबिया की सन्धि के बाद की घटना है। हज़रत अस्मा बिन्ते अबूबक्र रज़ि0 की माता मक्के से मदीना आयीं। हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने उन्हें तलाक़ दे दी थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। वह अपने साथ कुछ उपहार किशमिश, घी आदि लेकर आयी थीं। वे आशा करती थी कि इस प्रकार उनकी पुत्री भी उनके प्रति ऐसा ही व्यवहार करेगी और उन्हें उपहार देगी। हज़रत अस्मा रज़ि0 को माता के मुशरिक होने के कारण उनका उपहार स्वीकार करने, उन्हें घर में बुलाने, उनका आदर–सत्कार करने व उन्हें कुछ देने में संकोच हुआ और उन्होंने जाकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, "हां अपनी माँ के साथ दया का बर्ताव करो"।

माता–पिता के बाद रिश्तेदारों का स्थान आता है, वे भी इस प्रकार अच्छे व्यवहार के पात्र हैं। इस्लाम आग्रह (चेतावनी) करता कि रिश्तेदार चाहे अपने धर्म के हों या अन्य धर्म के हों, उनके अधिकारों को पूरा किया जाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करने से कोताही न की जाएगी। इस संबंध में इस्लाम कितना संवेदनशील है इसका अनुमान इस उदाहरण से भली–भांति किया जा सकता है। इस्लामी शरीअत में पैतृक संपत्ति के अधिकार के लिए मुसलमान होने की शर्त रखी गयी है। कोई ग़ैर–मुस्लिम किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। परन्तु इस्लाम ने दूसरे रास्ते से उसे आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रबंध कर दिया है। ग़ैर–मुस्लिम रिश्तेदारों को वसीयत या उपहार के माध्यम से माल का कुछ भाग दिया जा सकता है। अल्लाह की किताब के अनुसार सामान्य

ईमान वालों और हिज़रत करने वालों की अपेक्षा नातेदार एक–दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं। अलबत्ता अपने साथियों के साथ तुम कोई भलाई (करना चाहो तो) कर सकते हो।

कुर्आन में बताया गया है कि नातेदारों के अधिकार साधारण लोगों से सर्वोपरि है। सूरह अहज़ाब हिजरी 5 में अवतरित हुई है। इससे पहले मदीना हिज़रत करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुहाजिरीन और अन्सारे मदीना के मध्य भाईचारा कर दिया था। इस आधार पर मुहाजिरीन और अंसार एक– दूसरे के उत्तराधिकारी होते थे। उपरोक्त आयत के अवतरण के बाद यह नियत समाप्त हो गया और उत्तराधिकार का आधार नातेदारी को बनाया गया।

ग़ैर–मुस्लिम रिश्तेदार से यद्यपि धर्म का संबंध नहीं है, परन्तु वंश के कारण वह नातेदार ही हैं, इसलिए उसके अधिकार के लिए वसीयत की जा सकती है। क़तादह, हसन और अता रह0 फ़रमाते हैं, "इस आयत में आज्ञा दी गयी है कि मुसलमान अपने ग़ैर–मुस्लिम रिश्तेदार को अपने जीवन में जो चाहे दे सकता और मरते समय उसके लिए वसीयत कर सकता है।

उपरोक्त बातों की प्रामाणिकता इस बात से होती है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक बार कुछ रेशमी जोड़े उपहार में आ गये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक जोड़ा हज़रत उमर रज़ि0 के पास भेज दिया। हज़रत उमर रज़ि0 को आश्चर्य हुआ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मर्दों को रेशमी कपड़े पहनने को मना किया है, फिर उसे मेरे पास क्यों भेजा है? उन्होंने जाकर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि मैंने तुम्हें पहनने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि इसलिए दिया है कि इसे बेचकर उसकी रक़म काम में लाओ या किसी को उपहार में दे दो। आगे वर्णन में यह भी आया है कि हज़रत उमर रज़ि0 के एक रिश्ते के भाई इस्लाम नहीं लाये थे, वह मक्के में ही रह रहे थे। हज़रत उमर रज़ि0 ने इसको उपहार के रूप में उनके पास भेज दिया।

हज़रत इमाम नौवी रह0 फ़रमाते हैं कि यह वर्णन दलील है इस बात की कि ग़ैर–मुस्लिम नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा दया भाव किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से वर्णित है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ि0 ने अपने एक निकट नातेदार के लिए जो इस्लाम नहीं लाया था वसीयत की थी।

पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध–

नातेदारों के बाद, मनुष्य का सबसे निकवर्ती संबंध अपने पड़ोसियों से होता है। पड़ोसी से हर समय का साथ रहता है। पड़ोसी अच्छे हों तो मनुष्य अपने बाल–बच्चों, घर और माल से मुतमइन होकर अपने कारोबार में व्यस्त होता है। इस्लाम की शिक्षा है कि मुसलमान एक अच्छा पड़ोसी बने। उससे उसके पड़ोसियों को कोई कष्ट न पहुंचे। वह उनके दुख–दर्द में काम आये। उनके साथ मधुर संबंध रखे। कुर्आन में है कि, "माँ–बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, नातेदारों और अनाथों और मुहताजों के साथ अच्छा

व्यवहार करो और पड़ोसी, नातेदारों से अपरिचित पड़ोसी से, पहलू के साथी से और मुसाफ़िर से और उन दास–दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हों, एहसान का मामला रखो"। (कुर्आन 4:36)

इस आयत में तीन प्रकार के पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार का आदेश दिया गया है– 1. नातेदार पड़ोसी 2. अपरिचित पड़ोसी 3. पहलू का साथी (जिससे थोड़ी देर का साथ हो जाए), कुर्आन के कुछ टीकाकारों का कहना है कि रिश्तेदार पड़ोसी का अर्थ है मुस्लिम पड़ोसी और अपरिचित पड़ोसी का अर्थ है ग़ैर–मुस्लिम पड़ोसी।

अनेक हदीसों अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनों से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पड़ोसियों के साथ मधुर व्यवहार रखने की बहुत ताकीद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो व्यक्ति अल्लाह पर और परलोक पर ईमान रखता हो उसे अपने पड़ोसी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए"।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक बार सहाबा किराम के समूह में तीन बार फ़रमाया "अल्लाह की क़सम! वह व्यक्ति मोमिन नहीं है? सहाबा किराम ने पूछा कौन? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, "वह व्यक्ति जिसका पड़ोसी उसके दुष्कृत्य (शरारत) से सुरक्षित न हो।"

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उपरोक्त कथन सबके लिए हैं, इसमें मुसलमान होने की क़ैद नहीं है, ग़ैर–मुस्लिम पड़ोसी भी इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए सहाबा किराम अपने ग़ैर–मुस्लिम पड़ोसियों के साथ भी मधुर व्यवहार रखते थे। हज़रत मुजाहिद रज़ि0 कहते हैं "मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि0 के पास था। उनके मुलाज़िम ने एक बकरी ज़बह की तो उन्होंने कहा, "इसका गोश्त बांट दो और सबसे पहले हमारे यहूदी पड़ोसी के यहां भेजो"। एक व्यक्ति ने कहा, "क्या अप उस यहूदी के यहां भेजेंगे?" आपने फ़रमाया, "मैंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद करते हुए सुना है कि हमें आशंका होने लगी कि आप उसे विरासत में अधिकार दे देंगे"।

व्यावहारिक सामाजिक सम्बंध–

जब कुछ लोग एक जगह रहते–बसते हैं तो उनके मध्य सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। आपसी मधुर संबंध के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्ति एक–दूसरे का ध्यान रखें। अपने पड़ोसियों, मिलने वालों और साझीदारों के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, उनकी खुशियों में साथ दें, उनके दुख को अपना दुख समझें। उनकी सहानुभूति, भाईचारा, सांत्वना में कोई कमी न रखें। इस्लाम मानवीय मनोवृत्ति का पूरा आदर करता है। वह ग़ैर–मुस्लिमों से मानवीय मित्रता में न यह कि कोई हानि व त्रुटि समझता है बल्कि वह उनकी ताकीद करता है। वह अपने मानने वालों के लिए अनिवार्य करता है कि अगर उनके ग़ैर–मुस्लिम संबंधी बीमार हों तो उनकी इयादत (कुशलक्षेम) करें और उनका देहांत हो जाए तो उनके परिवार की ताज़ियत करें और आवश्यकता हो तो जनाज़े में भी शामिल हों।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से वर्णित है कि एक यहूदी लड़का हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा किया करता था। एक बार वह बीमार पड़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गये।

हज़रत सईद बिन मुसइब रज़ि0 अपने पिता से वर्णित करते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा जनाब अबू तालिब की मृत्यु के समय उनकी इयादत की थी।

अनेकों उदाहरणों में है कि जब जनाब अबू तालिब की मृत्यु हुई है और उनके पुत्र हज़रत अली रज़ि0 ने आकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसकी सूचना दी तो आपने उनको आदेश दिया कि जाकर उनको दफ़न करके आओ। संभवतः हज़रत अली रज़ि0 को कुछ संकोच हुआ और उन्होंने इसका इज़हार किया कि उनका देहांत शिर्क की दशा में हुआ है। परन्तु आपने फिर फ़रमाया, "जाओ उन्हें दफ़न करके सीधे मेरे पास आओ"। हज़रत अली रज़ि0 कहते हैं कि जब मैं अपने पिता को दफ़न करके आपकी सेवा में वापस आया और आपको सूचित किया तो आपने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि0 से उल्लिखित है कि एक मुसलमान के पिता यहूदी थे। उसका देहांत हो गया तो उस मुसलमान ने उसके जनाज़ा (अर्थी) में भाग नहीं लिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, "उसने सही नहीं किया, उसे अपने पिता के जीवन काल में ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी और मृत्यु के बाद उसके कफ़न–दफ़न में हिस्सा लेना चाहिए था"।

एक बार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे थे, वहां से एक यहूदी का जनाज़ा गुज़रा। उसे देख कर आप खड़े हो गये, सहाबा किराम ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह तो यहूदी की अर्थी है"। आपने फ़रमाया "कोई भी जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ"।

हज़रत सुहैल बिन हनीफ़ रज़ि0 बिन सअद रज़ि0 क़ादसिया में एक स्थान पर बैठे हुए थे, वहां से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप खड़े हो गये और सभी साथियों से कहा, यह तो ज़िम्मी का जनाज़ा है। उन दोनों ने फ़रमाया, "इसी तरह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी एक मौक़े पर जनाज़ा देखकर खड़े हो गये थे। आपको बताया गया यह तो यहूदी का जनाज़ा है तो आपने फ़रमाया, "क्या इसमें जान नहीं होती"।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से उल्लिखित है कि एक बार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ सहाबा के साथ अपनी मां की क़ब्र की ज़ियारत की। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रोना आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देख कर सहाबा किराम की आंखों में आंसू आ गये।

ताबईन में हज़रत अता बिन अबी रहायह रह0 और हज़रत अम्र बिन दीनार रह0 फ़रमाते हैं, "यदि किसी मुसलमान की किसी ग़ैर–मुस्लिम से नातेदारी हो तो उसे उसकी इयादत करनी चाहिए और देहांत हो जाने पर उसके जनाज़े में भी

सम्मिलित होना चाहिए। हज़रत सुलैमान बिन मूसा रह० फ़रमाते हैं, "नातेदारी होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उनकी इयादत की जा सकती है।

ग़रीबों की आर्थिक सहायता-

समाज में कुछ लोग निर्धन, मुहताज, बेकस और लाचार होते हैं, अतः आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का कर्तव्य है कि उनकी सहायता करें और उनके काम आएं, उनका सहारा बनें। इस्लाम इस दशा में मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम में कोई विभाजन नहीं करता। वह ग़ैर-मुस्लिमों पर भी आर्थिक सहायता करने का आदेश देता है, यही नहीं बल्कि साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से कहता है कि ग़ैर-मुस्लिम पर केवल अल्लाह की कृपा प्राप्त करने के लिए ख़र्च किया जाए। उनसे किसी सांसारिक लाभ की आशा न रखी जाए और उन्हें आर्थिक सहायता के लोभ में इस्लाम स्वीकार करने का माध्यम न बनाया जाए। क़ुर्आन में अल्लाह फ़रमाता है "ऐ नबी! लोगों को रास्ते पर ला देने का दायित्व तुम पर नहीं। मार्ग पर तो अल्लाह ही जिसे चाहता है चलाता है। और दान में जो कुछ धन तुम ख़र्च करते हो वह तुम्हारे अपने लिए भला है। आख़िर तुम इसीलिए तो ख़र्च करते हो कि अल्लाह की खुशी प्राप्त हो। तो जो कुछ माल तुम दान में ख़र्च करोगे उसका पूरा-पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक़ कदापि मारा न जाएगा"।

उपरोक्त आयत आर्थिक सहायता के संदर्भ में अवतरित हुई है। इससे पहले की आयत में ईमान वालों को संबोधित करके कहा गया है कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसे खुले-छुपे हर प्रकार से उसके ज़रूरतमंद बन्दों पर व्यय करो और शैतान के बहकावे में निर्धनता के भ्रम में मत पड़ो। और अल्लाह को खुश करने के लिए अपना अच्छा धन व्यय करो। उसके लिए ख़राब माल छांट कर मत रखो। इस संदर्भ में उपरोक्त आयत में कहा जा रहा है कि जो कुछ ख़र्च करो उसमें अल्लाह की प्रसन्नता को ध्यान में रखो, इसका लाभ तुम्हें आवश्य होगा और परलोक में इसका भरपूर बदला मिलेगा। जो भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता के पात्र हैं, उनका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। यह तुम कदापि न सोचो कि उन लोगों पर उस समय ख़र्च करेंगे जब वह इस्लाम क़बूल कर लेंगे। उन्हें इस्लाम में लाना तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है। अल्लाह ही जिसको चाहेगा *मार्ग*दर्शन करेगा। *तुम्हारा* काम यह है कि चाहे वे इस्लाम स्वीकार करें या न करें यदि वे सहायता के पात्र हैं और अल्लाह ने तुम्हें धन से संपन्न किया है तो उनकी सहायता करो।

उपहारों का आदान-प्रदान-

एक अच्छे सामाजिक रहन-सहन का एक महत्वपूर्ण साधन उपहारों का आपस में आदान-प्रदान है। एक दूसरे को उपहार भेंट करने में समरसता और निकटता पैदा होती है और संबंध में स्थिरता उत्पन्न होती है। इस्लाम इस संबंध में भी मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम में भेद नहीं करता है। ग़ैर-मुस्लिमों को उपहार दिया जा सकता है और उनका उपहार लिया जा सकता है।

हज़रत अबू हमीदुस्सादी फ़रमाते हैं कि ईला के राजा ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में एक ख़च्चर उपहार में भेजा, इसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उपहार में एक चादर उसके पास भेजी।

दोमतह के राजा अकीदर ने जो ईसाई था आपकी सेवा में एक रेशमी कपड़ा भेजा। अस्कन्दरिया (मिस्र) के शासक मक़ूकस के पास जब हज़रत हातिब बिन अबी रज़ि0 हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पत्र लेकर गये थे तो उसने भी बहुत से उपहार आपकी सेवा में भेजे थे। हज़रत बिलाल रज़ि0 से उल्लिखित है कि एक मौक़े पर फिदक के शासक ने चार ऊँटनियां जो अनाज और कपड़ों से लदी हुई थीं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपहार स्वरूप भेजी थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सभी उपहार जो ग़ैर-मुस्लिम शासकों की ओर से भेजे गये थे स्वीकार किये। इससे पहले लिखा जा चुका है कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बक्र की माँ जो इस्लाम नहीं लायीं थीं जब उनसे मिलने आयीं तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछ कर उनका आदर-सत्कार किया था और उन्हें उपहार देकर वापस किया था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि0 अपने एक ग़ैर-मुस्लिम भाई के पास जो मक्का में रह रहे थे उपहार भेजा था।

सम्मान एवं सत्कार- एक अच्छे समाज के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उनका सम्मान किया जाए। उन्हें अच्छे ढंग से संबोधित किया जाए। और उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए कि उन्हें अपमान या ओछेपन का आभास हो। इस्लाम समाज के सभी वर्गों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का आदेश देता है। वह वहां मुसलमानों के साथ भाईचारा, प्रेम एवं अपनत्व का संबंध बनाए रखने की शिक्षा देता है, वहीं अन्य धर्मावलंबियों के संबंध में आदेश देता है कि उनका आदर-सत्कार किया जाए। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनों के अनुसार ग़ैर-मुस्लिमों को सलाम किया जा सकता है, उनके सलाम का उत्तर दिया जा सकता है, उनसे मुसाफ़ा किया जा सकता है, उनके लिए दुआ के शब्द कहे जा सकते हैं। अभिप्राय यह है कि आदर-सत्कार के सभी कार्य किये जा सकते हैं।

हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ि0 से उल्लिखित है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुज़र ऐसे समूह की ओर से हुआ, जहां मुसलमानों के अतिरिक्त यहूदी और मुशरिक भी थे, आप वहां पहुंचे तो आपने सलाम किया। सहाबा किराम में नियम व परंपरा थी कि जिससे भी भेंट होती उसे सलाम करते थे और इस नियम में किसी से भेदभाव नहीं करते थे। वे दूसरों को भी इसी नियम पर चलने का आग्रह करते थे।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 से उल्लिखित है कि, "सलाम का उत्तर दो चाहे सलाम करने वाला यहूदी हो या ईसाई या मजूसी"। साथ ही उन्होंने यह भी फ़रमाया इसलिए कि अल्लाह का फ़रमान है "और जब कोई आदर के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से या कम से कम उसी तरह उसका जवाब दो"।

हज़रत अबू इमामा रज़ि0 की रास्ते में चलते हुए किसी से भेंट होती तो उसे सलाम करते, चाहे मिलने वाला मुसलमान होता या कोई और, छोटा होता या बड़ा, उनसे इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि, "हमें सलाम करने का आदेश दिया गया है"।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 के बारे में भी है कि वे सलाम करने में पहल करते थे चाहे मिलने वाला मुसलमान हो या ग़ैर–मुस्लिम।

अरब के नाम के साथ कुन्नियत (पिता या पुत्र के नाम से पहचान) का प्रचलन था और बहुधा प्रतिष्ठित व्यक्ति को आदर से नाम की जगह कुन्नियत से पुकारा जाता था। ग़ैर–मुस्लिमों को भी इस आदर व प्रतिष्ठा का पात्र समझा गया है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ि0 से वर्णित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक बार एक ऐसी सभा में गये जिसमें अब्दुल्लाह बिन उबई मौजूद था। यह उस समय की बात है जब उसने इस्लाम से द्वेष वँ शत्रुता को प्रकट नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखकर उसने कहा, "हमारी सभा में आकर हमें कष्ट न पहुंचाया कीजिए।" रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस बात की शिकायत क़बीला ख़ज़रज के सरदार हज़रत सअ़द बिन इबादह रज़ि0 से करते हुए फ़रमाया, "ऐ सअ़द! देखिए अबू हबाब कैसी बातें कहते हैं? (अबू हबाब अब्दुल्लाह बिन अबी रज़ि0 की कुन्यित थी)। एक बार सफ़वान बिन उमैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भेंट करने गये। उस समय तक उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें देख कर कहा अबू वहब आइये स्वागत है"।

हज़रत क़तादह रज़ि0 कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक ईसाई को "अबू हारिस" कहकर संबोधित किया था। यह विचार और कल्पना उचित नहीं है कि ग़ैर–मुस्लिम से घृणा करने और उसके साथ तिरस्कृत व ज़लील करने की इस्लाम में शिक्षा दी गयी है। अपितु इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार ग़ैर–मुस्लिम सहानुभूति के पात्र हैं और उन्हें अनुकूल आशीर्वाद दे सकते हैं।

क़बीला दौस के एक व्यक्ति हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र रज़ि0 ने इस्लाम स्वीकार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें अपने क़बीले में वापस जाने और उनमें इस्लाम के प्रचार का आदेश दिया, परन्तु उनके कबीले वालों ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया बल्कि सरकशी का व्यवहार किया। हज़रत तुफ़ैल रज़ि0 ने आकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में निवेदन किया, "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क़बीला नाफ़रमानी और सरकशी पर डटा है, उस पर आप बद दुआ कर दीजिए। लोगों को भ्रम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बद दुआ कर देंगे। परन्तु आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, "ऐ अल्लाह! दौस को निर्देश दे और उन्हें सामर्थ्य दे कि मेरे पास अनुयायी बनकर आ जाएं"।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 फ़रमाते हैं कि एक मौक़े पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ने कहा कि बहुदेववादियों के लिए आप अभिशाप कर दीजिए तो आपने इस प्रकार फ़रमाया, "मेरा अवतरण इसलिए नहीं हुआ कि धिक्कार करता फिरूं अपितु मैं सबके लिए दया और रहमत बनाकर भेजा गया हूँ"।

हज़रत अनस रज़ि0 से उल्लिखित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में एक यहूदी ने पीने के लिए दूध दिया, आप

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और आशीर्वाद दिया, कहा अल्लाह इसे मनोहर और रूपवान रखे।

लेन-देन के मामले-

समाज में व्यक्तियों को क़दम–क़दम पर एक–दूसरे की मदद, सहारा व ज़रूरत की आवश्यकता होती है। और आपस में विभिन्न प्रकार के लेन–देन करने पड़ते हैं। ऐसा न हो तो जीवन व्यतीत करना ही दुर्लभ हो जाए। धर्मों की भिन्नता का इस्लाम इस संबंध में रुकावट नहीं बनाता है। जिस समाज में अनेक धर्मों के मानने वाले बसते हैं, वह एक–दूसरे के काम आ सकते हैं और एक–दूसरे से लेन–देन कर सकते हैं। उनसे रेहन, कृषि एवं अन्य व्यापार कर सकते हैं। बिना किसी संकोच और घृणा के उनके निर्माण की वस्तुएं प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें अपनी वस्तुएं विक्रय कर सकते हैं। उनके यहां पारिश्रमिक पर मज़दूरी कर सकते हैं और उन्हें अपने यहां काम पर लगा सकते हैं अर्थात हर प्रकार के व्यापार व कारोबार ग़ैर–मुस्लिमों के साथ किये जा सकते हैं।

हज़रत आइशा रज़ि0 से उल्लिखित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने जीवन के अन्तिम दिनों में एक यहूदी के पास अपनी ज़िरह (कवज) रेहन रख कर उससे अपने घर वालों के लिए कुछ अनाज लिया था।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र रज़ि0 से उल्लिखित है कि एक बहुदेववादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कुछ बकरियां लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे पूछा, क्या बेचने के लिए है या उपहार है? उसने उत्तर दिया बेचने के लिए हैं, आपने उससे एक बकरी ख़रीदी।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ैबर पर विजय पाने के बाद वहां की भूमि यहूदियों के पास इस अनुबंध के साथ रहने दी कि वे इससे कृषि करेंगे और उन्हें पैदावार का आधा मिलेगा।

हिजरत के यात्रा की प्रसिद्ध घटना है कि हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने मार्गदर्शन के लिए कबीला बनदेल के एक गैर–मुस्लिम की सेवाएं ली थीं, जिसका नाम इतिहास की पुस्तकों में अब्दुल्लाह बिन अरकित या अक़रत था और उस पर विश्वास करके अपनी सवारियां उसके हवाले कर दी थीं, फिर बाद में उसके नेतृत्व में पूरी यात्रा की।

हज़रत असअल बिन अबीश अशा बयान करते हैं कि मजूसी स्त्री हज़रत इब्राहीम नख़ई रह0 की सेवा करती थी और उनका खाना तैयार करती थी। इसी प्रकार क़ासिमुल अरज़ रह0 बयान करते हैं कि हज़रत सईद बिन जाबिर रज़ि0 ने असफ़हान में कई साल गुज़ारे। एक मजूसी लड़का उनकी सेवा करता था, उनका खाना बनाता था और उन्हें कुर्आन उठा कर देता था।

हज़रत ख़ब्बाब रज़ि0 अपनी एक घटना वर्णित करते हैं कि मैं लोहार था। मैंने मक्का में आस बिन वायल (प्रसिद्ध मूर्तिकार) का कुछ काम किया था।

इमाम नववी रह0 एक हदीस की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं, "तमाम मुसलमानों का इस बात पर एक मत है कि अहले ज़िमा और अन्य ग़ैर–मुसलमानों से लेन–देन किये जा सकते हैं, यदि उनमें कोई हराम चीज़ शामिल न हो।

व्यापारिक व कारोबारी व्यवहारों से हट कर भी अन्य बातों में मनुष्य को दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है और उसे पूरा करने में उनकी सहायता लेता है, इस्लाम की शिक्षा यह है कि बाहुल्य धार्मिक समाज में रहने–बसने वाले लोग एक–दूसरे के सहायक हो सकते हैं और होना भी चाहिए। एक मुसलमान अपने ग़ैर–मुस्लिम पड़ोसियों, मित्रों और मिलने–जुलने वालों के सहायक बन सकते हैं। उनके काम आ सकते हैं और समय पड़ने पर उनकी सहायता भी ले सकते हैं।

उमैया बिन ख़ालफ़ जो मक्का के सरदारों में से था, और इस्लाम नहीं लाया था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि0 से उसकी मित्रता थी। मदीना हिज़रत करने के बाद बद्र के युद्ध से पहले उन्होंने उमैया से लिखित समझौता किया कि, "तुम मक्का में अपने लोगों के मध्य मेरी सुरक्षा करोगे और मैं मरीना में अपने लोगों के मध्य तुम्हारी सुरक्षा करूंगा"। इसी समझौते की पासदारी में बद्र के युद्ध के समय उन्होंने उसे बचाने का प्रयत्न किया था।

पीड़ितों और कमजोरों की सहायता-

समाज में कुछ लोग दबे–कुचले होते हैं। बहुधा वह शक्ति व सत्ता के नशे में चूर लोगों के अत्याचार का शिकार हो जाते हैं। ऐसी दशा में समाज के न्यायप्रिय प्रभावी लोगों का उत्तरदायित्व है कि ऐसे कमज़ोर और निर्बलों की सहायता करें। उन्हें अत्याचारियों के चंगुल से मुक्ति दिलाएं और उन्हें सम्मान व प्रतिष्ठा का जीवन व्यतीत करने का अवसर दिलाएं। इस्लाम अपने मानने वालों को आदेश देता है कि मज़लूम कोई भी हो, उनके धर्म का हो या अन्य धर्म का हो, उनके देश का हो या विदेश का हो, वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ें और उन्हें अत्याचार, उत्पीड़न से छुटकारा दिलाएं। हज़रत बराअ बिन आज़िब रज़ि0 एक विस्तृत वर्णन में कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें सात बातों से रोका है और सात बातों का आदेश दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन बातों का आदेश दिया है उनमें से एक है, "पीड़ितों की मदद करो" इस हदीस की व्याख्या में इमाम ख़ताबी रह0 फ़रमाते हैं कि पीड़ितों की मदद करना वाजिब है चाहे व मुसलमान हों या ज़िम्मी। उसे अत्याचार से बचाने के लिए प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया जाएगा। चाहे जुबान के द्वारा या अमल के द्वारा या अन्य किसी प्रकार"।

इस्लाम ने अनेक धर्म वालों के साथ रवादारी, सद्व्यवहार, हमदर्दी, सहायता, मधुर समाजिकता के जो अनुदेश दिये हैं, यदि उनके अनुसार आचरण किया जाए तो बाहुल्य धार्मिक समाज के व्यक्तियों के मध्य घृणा, द्वेष, वैमनस्य और बदगुमानी नहीं बढ़ेगी अपितु आपसी विश्वास और शुभ चिंतक का वातावरण पैदा होगा और सभी हँसी–ख़ुशी मिल–जुल कर रह सकेंगे।

स्वागत तथा अनुरोध

हम आपके परामर्शों का स्वागत करते हैं तथा लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वह सरल भाषा में लिखें।

इदारा

पिछले अंक से आगे

अक़लमन्द इन्सान की पहचान

—हैदर अली नदवी

संसार में समस्त बिगाड़ के अन्य कारणों के अलावा एक बहुत बड़ा कारण दअवत के फर्ज का अदा न करना तथा इस्लामी जीवन शैली को त्यागना है, वरना संसार आज भी इस्लाम के उच्च आदर्शों का कद्रदान है और जब भी जहाँ भी दअवत के उसूलों के साथ इस्लामी जीवन एवं शिक्षा का अमली नमूना पेश किया गया तो इन्सानों के बड़े समूह ने उसे अपनाया और उसका स्वागत किया। एक अंग्रेज़ नव मुस्लिम ने एक सभा में मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए कहा, ऐ जालिमो! लोग चौंके, शायद ज़बान फिसल गयी, उसने कहा, मैंने जान—बूझ कर इस शब्द का प्रयोग किया है, आप ज़ालिम हैं क्योंकि कुर्आन जैसी आदर्श किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन पर अपना अधिकार जमाए अपने घरों में, अपने कामों में व्यस्त रहे, इस्लाम की झलक अपनी जीवन शैली से त्याग दी, दीन हम तक न पहुँचाया, हमारे पूर्वज बिना ईमान तथा परलोक की तैयारी के बिना चले गए, अगर तुमने हम तक दीन पहुँचाया होता तो शायद हमारी तरह हमारे पूर्वज ईमान लेकर जाते। इन शब्दों के साथ उस नव मुस्लिम की रोते—रोते हिचकियाँ बँध गयीं। आज हमारा (मुसलमानों का) हाल यह हो गया है कि हम इस्लाम की दहलीज पर बैठे हैं, न स्वयं अन्दर जा रहे हैं और न हट रहे हैं कि दूसरा प्रवेश कर सके। किसी महापुरुष का कथन है कि दुनिया उतनी कमाओ जितना यहाँ ठहरना है और आखिरत की तैयारी उतनी करो जितना वहाँ रुकना है, जाहिर है मरने के बाद सदा वहीं रहना है।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हमारी आँखें खोलने के लिए काफी है। हमारा (समस्त मानव जाति का) संसार से क्या सम्बन्ध (अर्थात उतना ही है), मैं एक मुसाफिर के समान इस संसार में हूँ जो चलते—चलते सायेदार पेड़ के साये में थोड़ा आराम करके उसे छोड़ कर फिर चल देता है। यही हाल दुनिया के साथ इन्सानों का है।

"जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है
ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है"

लेकिन आज हमारी गफलत का हाल यह है कि दुनिया को हमने तमाशा स्थल समझ रखा है और धन—दौलत, कोठियों, महलों, गाडियों, ओहदों तथा अय्याशी, अश्लीलता, सुन्दरता व आधुनिकता का तमाशा देखते हुए सो जाते हैं। प्रातः काल उठ कर फिर उसी तमाशे में लग जाते हैं, यही हमारी दिन चर्या बन गयी है। सन्तरी से लेकर मंत्री तक खुंखार दरिन्दे समाज का खून चूसने वाले बनते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, अन्याय, जमाखोरी, रिश्वत समाज का नासूर बनता जा रहा है, कानून असहाय होता जा रहा है, कोई नहीं है जो मानवता के दर्द को समझे, सिवाए चन्द लोगों के जिनकी

आवाज़ को दबा दिया जाता है।

आज समाज को स्वार्थ से ऊपर उठकर नई दिशा देने की आवश्यकता है, मकतबों, स्कूलों, कॉलेजों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक सभाओं में ये आवाज लगाई जाए, हमारे लेखकगण इस को अपना ध्येय बनाएं और मानवता की रक्षा करने को अपना फर्ज समझें, दुनिया को अपना लक्ष्य न बनाएं वरना कल मौत का फौलादी पंजा जब हमारी गर्दन मरोड़ेगा तो देखते–देखते अपना सब पराया हो जाएगा, और यदि वह पापी है तो अजाब का एक झोंका उसके पिछले सारे ठाठ–बाट को ठिकाने लगा देगा और उसके होश उड़ जाएंगे और उसे याद भी न रहेगा कि ऐशो–आराम क्या होता है। आज भले ही कोई इन्सान हदीस की व्याख्या को पारलौकिक जीवन को कोरी कल्पना कह कर टाल दे, लेकिन कल जब देखती हुई आँखें पथरा जाएंगी, चलती सांसें थम जाएंगी, बोलती हुई ज़बान खामोश हो जाएगी, प्लानिंग करने वाला दिमाग फेल हो जाएगा, हरकत करते हुए हाथ–पैर दूसरों के मोहताज होंगे, जब खूबसूरत चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही होंगी, जब इत्र व खुशबू से महकता शरीर बदबू देने लगेगा, जब प्यार से अब्बा–अब्बा करने वाले बच्चे बिलख रहे होंगे और तुम बच्चों से प्यार के दो शब्द भी नहीं बोल सकोगे, क्योंकि ज़बान के बनाने वाले मालिक ने ताला लगा दिया है, जिस खुदा ने एक निश्चित समय के लिए बोलने, सुनने, चलने, फिरने काम करने और प्लानिंग करने की अनुमति दे रखी थी, आज उसी संसार के रचयिता ने सारे अधिकार छीन कर हमें हमारी औकात बता दी, जिन अंगों को अपना सदा का अधिकार समझे बैठे थे, अपने अंगों के हम स्वामी बन कर अपनी मर्जी से जहां चाहते थे प्रयोग कर रहे थे, आज हम हिल भी नहीं सकते, दिन–रात एक करके आखिरत और दीन धर्म को छोड़ कर प्राप्त की सम्पत्ति को एक नज़र देख भी नहीं सकते, अब हम अपनी हवेली, सिंहासन, महल में दो दिन रह भी नहीं सकते, रोकने की कोशिश की गयी तो संधाड़ से पूरा घर बदबूदार हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि हम घोड़े पर सवार थे या गधे पर।

इसलिए समस्त मानव जाति को सत्मार्ग पर चलते हुए खुदा के बताए हुए आदर्श जीवन को अपना कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके सहाबा के आदर्श जीवन को अपने जीवन में दाखिल करके दुनिया के सामने तैयार हो कर दअवत का काम अन्जाम देना चाहिए, यह इन्सानियत के साथ मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्दी होगी। फिर यह संसार स्वयं मुसलमानों और समस्त मानव जाति के लिए स्वर्ग समान बनेगा। जिस राम राज्य का सपना भारतीय महापुरुषों ने देखा है वह राम राज्य हम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदर्श जीवन से समस्त संसार को दे सकते हैं।

"मानवता आवाज़ देती है, तुम उसकी शान बन जाओ।
उठो उठ कर नए इतिहास का उनवान बन जाओ"।

❖❖❖

'जीव-हत्या' की वास्तविकता

—डॉ0 मुहम्मद अहमद

मांसाहार और कुरबानी के सिलसिले में 'जीव–हत्या' भी एक सवाल के रूप में सामने आता रहता है। कुछ आक्षेपकर्ता जीव–हत्या को कुरबानी से जोड़कर यहां तक कह देते हैं कि कुरबानी से जीव–हत्या को बढ़ावा मिलता है। अतः कुरबानी के औचित्य को जानने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जीव–हत्या की परिभाषा समझ ली जाए। जीव–हत्या का सीधा अर्थ है, वह चीज़ अथवा प्राणी जिसमें जीवन और चेतना पायी जाए अथवा दोनों में से कोई एक चीज़ पायी जाए, उसका अनाधिकार नष्ट कर दिया जाए अथवा उसका जीवन समाप्त कर दिया जाए। यह एक दुखद स्थिति है कि आज अधिकतर लोग जीव–हत्या को सही भावार्थ को समझने की चेष्टा नहीं करते। इसके लिए वे खुद कुसूरवार नहीं हैं, बल्कि मीडिया और आसपास के भ्रामक वातावरण का उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक बात है।

हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें उन पशु–पक्षियों को ज़िब्ह करने में ही जीव–हत्या नज़र आती है, जिनका मांस मानव–शरीर के लिए हर प्रकार से लाभकारी है और शरीर के विभिन्न अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शायद ऐसे लोगों की नज़र इस ओर नहीं जाती कि उनकी परिभाषा से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अनगिनत जीव–हत्याएं करता है। अब वनस्पति वैज्ञानिकों ने अनेक प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि पेड़–पौधों में भी जीवन होता है और उनमें चेतना का अंश भी मिलता है। प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस ने सबसे पहले यह खोज की थी, लेकिन अब तो उनकी खोज के अनेकानेक प्रमाण जुट गये हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य प्रतिदिन शाक– शब्ज़ियों का जो सेवन करता है तो एक ही साथ अनेक जीव रूपी शाक–सब्ज़ियों की हत्याएं कर डालता है। यही वह कारण है कि जैन समाज के एक वर्ग के कुछ लोग शाक–सब्ज़ी का सेवन नहीं करते। वे हवा में फैले कीटाणुओं से बचने के लिए मुंह पर कपड़े बांधते हैं कि कहीं कोई कीटाणु शरीर के अन्दर चला जाए और जीव–हत्या हो जाए।

कुछ लोग ज़मीन पर इसलिए नहीं चलते कि कहीं चींटियां और कीड़े–मकोड़े न मर जाएं एवं जीव–हत्या न हो जाए। स्पष्ट है कि कितना ही बचा जाए कथित "जीव–हत्या" से बचा नहीं जा सकता और यह अव्यवहारिक तथ्य है कि मनुष्य अपने जीवन और दृष्टिकोण को अकारण संकुचित करे और अपने हाथ–पैर बांध ले।

यहां पर यह कहना अनुचित न होगा कि जो लोग तथाकथित "जीव–हत्या" से बचने का प्रपंच करते हैं, वे "जीव–हत्या" से कदापि नहीं बच पाते। माना कि शाक–सब्ज़ी नहीं खाते, दही नहीं खाते की उसमें बैक्टीरिया

होते हैं और मांस–मछली का सेवन नहीं करते और ज़मीन पर पैर नहीं रखते, लेकिन वे जाने–अनजाने क्या हवा में खुलकर सांस नहीं लेते, जिसमें कीटाणु रह सकते हैं। फिर बीमार पड़ने पर शरीर के कीटाणुओं को मारने के लिए एंटीबायटिक जैसी दवाएं लेने से कहां कोई बच पाता है। पेट के अलाभकारी कीड़ों को मरवाने की दवाएं खाने की अनिवार्यता अलग से है। घर से मच्छर, दीमक, चूहा और अन्य जीव–जन्तु भगाने के लिए नाना प्रकार के पेस्टीसाइड्स और ज़हरीले पदार्थों का इस्तेमाल करने एवं करवाने से कौन बच पाता है और खेती–किसानी करने वाले तो फ़सल बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कीड़े–मकोड़ों और जीव–जन्तुओं को मार कर खुलेआम जीव–हत्याएं करते रहते हैं, खेत जोतकर पता नहीं कितने जीवों के प्राण ले लेते हैं, इसके बाद कीट–नाश का उपक्रम साधा जाता है, फिर खाद्यान्न उत्पादन हो पाता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी नज़र इस ओर नहीं जाती?

इससे यह मालूम हुआ कि जीव–हत्याओं के बाद खाद्यान्न का उत्पादन होता है और शाक–भाजी तो जीवंत हैं। पेड़–पौधों के बीज अपने आप में तो जीवंत नहीं होते, लेकिन अपने अन्दर इसकी क्षमता अवश्य रखते हैं। हिन्दू धर्म की यह उक्ति भी समीचीन है कि "जीवः जीवस्य भोजनम्" (जीव ही जीव का आहार है)।

मनुष्य के लिए मांसाहार उसकी प्रकृति के प्रतिकूल नहीं है। वह मां के पेट में सबसे पहले मांस–रस का ही महीनों सेवन करता है और जन्म के बाद मांसाहार से अपने संबंध यदि तोड़ लेता है तो यह उसकी प्रकृति के प्रतिकूल बात हुई। हां कुछ पशु–पक्षियों के मांसों के सेवन से मनुष्य का शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, अतः इनसे बचना अनिवार्य है। मृत पशु–पक्षियों और सही तरीक़े से ज़ब्ह न किये हुए पशु–पक्षियों के भी मांस दूषित होते हैं, अतः इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथ भी इसका समर्थन करते हैं।

इस्लाम मनुष्य को अल्लाह द्वारा पैदा किये गये जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव ठहराता है। उसे इस बात का अधिकार है कि वह अपने लिए बनायी गयी सृष्टि की प्रत्येक चीज़ का मर्यादा और सीमा में रहकर इस्तेमाल करे। इस्लाम किसी भी पशु–पक्षी को प्रताड़ित करने से रोकता है, सिर्फ़ मानव शरीर के लिए उपयोगी मांस वाले पशु–पक्षियों को ही आवश्यकता–नुसार मांस सेवन हेतु ज़ब्ह करने की अनुमति देता है। साथ ही वह ज़ब्ह कर तरीक़ा नियत करता है, जिससे जानवर को कम से कम कष्ट हो।

इस्लाम के साथ ही दूसरे बड़े धर्मों में मांसाहार की शिक्षा मिलती है। मनुस्मृति में यहां तक कहा गया है कि, "जो मनुष्य किसी श्राद्ध या मधुपर्क यथाविधि नियुक्त होने पर भी मांस नहीं खाता, वह मरने के अनन्तर 21 जन्म तक पशु होता रहता है। (5:35) संत विनोबा भावे जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "गीता प्रवचन" में लिखते हैं–

"भवभूति के 'उत्तर राम चरित' में एक प्रसंग आया है। वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ ऋषि आये। उनके स्वागत में छोटा–सा गाय का बछड़ा मारा गया तो एक छोटा लड़का बड़े लड़के से पूछता है: 'आज हमारे आश्रम में एक दाढ़ी वाला आया

है, उसने हमारा बछड़ा मार डाला।' बड़ा लड़का उत्तर देता है: 'अरे वे वो वशिष्ठ ऋषि हैं, ऐसा मत बक।' (गीता प्रवचन, अध्याय 7, पृ0 256)।

रहा प्रश्न कुरबानी से जीव–हत्या का, तो उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि सीमित अर्थ वाली जीव–हत्या से कोई भी इन्सान बच नहीं सकता। यदि वह इससे बचने की कुचेष्टा करता है तो अपने आपको इतना सीमित कर डालेगा कि उसका इन्सान होना खुद उसके लिए बड़ा बोझ होगा, जबकि इन्सान ईश्वर द्वारा बनायी गयी सृष्टि–रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस्लाम ने अपनी इन रचनाओं पर इन्सान को प्राथमिकता दी है, उसे अल्लाह के सिवा किसी और की दासता से मुक्त कर दिया है। इस्लाम अपने मानने वालों से यह अपेक्षा करता है कि वे अल्लाह ही की बन्दगी करें, अपने अन्दर तक़वा व ईशभय पैदा करें और उसके आदेशों–निर्देशों का पालन करें, यहां तक कि उसके मार्ग में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करने से न हिचकें। कुरबानी का मूल उद्देश्य यही है।

अल्लाह ने अपने पैग़म्बर हज़रत इबराहीम अलैहिस्सलाम को अपने प्रिय पुत्र इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुरबानी पेश करने का स्वप्न में संकेत दिया, जिसके लिए वे और उनके पुत्र सहर्ष तैयार हो गये। इबराहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के सहयोग से इस कठिन परीक्षा में खरे उतरे। अल्लाह ने उनकी त्याग–भावना की परीक्षा ली और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का जीवन सुरक्षित रखा। इसी घटना की याद को ताज़ा करने के लिए और आम मुसलमानों में कुरबानी की भावना विकसित करने एवं बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष कुरबानी का त्योहार ईदुल अज़हा मनाया जाता है।

वास्तव में हत्या उसे कहते हैं जो नाहक़ की जाए। यह पूरी सृष्टि मनुष्य के लिए ही पैदा की गयी है। किसी दुर्घटना में इन्सानी जान की क्षति को हत्या नहीं कहा जाता, जब तक कि यह न सिद्ध हो जाए की दुर्घटना किसी ने जान–बूझकर करायी। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा का शिकार होने वालों को "हत्या" नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक बात है। इन्सान को सृष्टि की प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी का मर्यादा–सीमा के अन्दर उपयोग और उपभोग करने का अधिकार है। इस्लाम किसी पशु–पक्षी के भी साथ ज़्यादती करने से रोकता है, हदीस में है कि एक स्त्री को बिल्ली को प्रताड़ित करने के अपराध में जहन्नम की सज़ा मिली। लेकिन उनका आवश्यकतानुसार सीमा के अन्दर उपयोग करने की अनुमति देता है, यहां तक कि मानव शरीर के लिए उपयोगी मांसधारी पशु–पक्षियों को ही आवश्यकतानुसार ज़ब्ह करने की अनुमति देता है, इसमें जीव–हत्या का प्रश्न कहां उठता है?

इस्लाम के साथ ही दूसरे बड़े धर्मों में भी पशुओं की कुरबानी अथवा बलि का प्रावधान मौजूद है। हिन्दू धर्म भी इसका अपवाद नहीं है। बलि (कुरबानी) का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में आया है, यथा 1–70–9, 5–1–10, 8–100–9, 7–6–5, 10–173–6, 6–11–17 अन्य ग्रंथों में भी बलि का उल्लेख है।

गांधी जी लिखते हैं– "वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, इतिहास एक ही समय में सामने नहीं आये। इनमें से हर एक का विकास विशेष कालों की

आवश्यकताओं के आधार पर हुआ और इसी कारण इनमें आपसी टकराव होता है.. क्योंकि जानवरों की बलि का कार्य एक समय में सामान्य रूप से पाया जाता था। एक समय में हम मांस खाते थे। क्या आज भी हम ऐसा करना चाहते हैं।"(Hindu Dharma, p.19)

उल्लेखनीय है कि गांधी जी शाकाहारी थे, लेकिन उन्हें सत्य स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है। स्वामी विवेकानन्द कहते हैं– 'वे बलि की एक चिता बनाते हैं। कुछ पशुओं का वध करते हैं, उनका मांस सीख़ पर भूनते हैं और मांस इन्द्र को भेंट कर देते हैं।"

(Hinduism of Vedas)

हिन्दू जीवन व्यवस्था पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक मनुस्मृति है। इसमें पशु–पक्षियों के मांस खाने का बयान बहुत स्पष्ट रूप से आया है–

यज्ञ के निमित्त अथवा स्वजनों के भरण–पोषण के लिए पशु–पक्षियों का वध करने में दोष नहीं है, क्योंकि अगस्त्य मुनि ने ऐसा किया था। (5:22)

इस स्मृति में बहुत से मंत्र मांसाहार के बारे में आये हैं। इसमें भी हलाल (विहित) और हराम (अविहित) मांस का वर्णन किया गया है। गौतम स्मृति में सूअर का भी मांस खाने से मना किया गया है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (2–22–5–15) में भी ऐसी ही बात कही गयी है। इस धर्मसूत्र (2–3–7–4) में लिखा है कि अतिथि को मांस देने से द्वादशाह यज्ञ करने का फल मिलता है। वसिष्ठ धर्मसूत्र (11–34) में वर्णित है कि "श्राद्ध अथवा देवपूजा में दिये गये मांस को यदि प्रार्थना करने पर यति (ब्राह्मण) नहीं खाता है, तो वह असंख्य वर्षों तक नरक में रहता है। स्पष्ट है कि बिना ज़ब्ह किये कोई कैसे मांस खा सकता है, लेकिन ज़ब्ह "हत्या" नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि में ज़ब्ह किया हुआ मांस अमृत की तरह रोगनाशक है। इस अर्थ को बताने वाला श्लोक आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ में इस प्रकार है–

"सद्योहतस्य मांस स्याद्वयाधिधाति यथाऽमृतम्।"

अब रही यह बात कि वर्तमान समय में कुछ शरीर–विज्ञानी और डॉक्टर मांस को शरीर के लिए हानिकारक बताने लगे हैं, तो सच है कि कुछ शरीर–विज्ञानियों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है, लेकिन वे यह नहीं सिद्ध कर पाते हैं कि मांस में प्रोटीन और अन्य तत्व नहीं होते। यहां पर समझने की बात यह भी है कि पश्चिम में कुछ डॉक्टरों ने मांसाहार के विरुद्ध जो निष्कर्ष निकाला है, वह अपने ही यहां सर्वेक्षण करके निकाला है, जहां पर बड़े पैमाने पर सूअर का मांस (पोर्क) खाया जाता है। स्पष्ट है कि सूअर का मांस शरीर के लिए एकदम अनुपयोगी और बहुत हानिकारक है। यह बात अनेक बार सिद्ध की जा चुकी है। इसके इस्तेमाल से बहुत सी गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अतः इसका त्याग ही विकारों का हल है।

भारत में जो एक–दो डॉक्टर मांसाहार विरोधी नतीजे पर पहुंचते हैं, वे पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं और विशेष रूप से एक धर्म विशेष के दुष्प्रचार अथवा किसी अभियान के शिकार हो जाते हैं। हां, यह बात तो सहज रूप से कही जा सकती है कि मुरदार, मांस अथवा सड़े–गले मांस खाने से अवश्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यही बात दूसरे भोज्य पदार्थों के सिलसिले में है।

मनुस्मृति (5–7) में है "जो जानवर मंत्र से सिद्ध न किया गया हो, उसका मांस न खाएं।"

इस्लाम धर्म में भी जानवर ज़ब्ह करने से पूर्व छुरी गर्दन पर रखते समय अल्लाह का नाम लेना और संबंधित दुआ पढ़नी अनिवार्य है, तभी मांस भोज्य होता है। मांस के फ़ायदे आयुर्वेद में भी गिनाये गये हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ "भाव प्रकाश निघण्टौ" में है–

मांस वातहरं सर्व बृहणं बलपुष्टिकृत्।
प्रीणनं गुरु हृद्यण्च मधुर रसपाकयोः।।

अर्थात् अच्छे मांस वायुनाशक, धातुवर्धक, बलवर्धक, तृप्तिदायक, हृदय को लाभदायक, रस और पाक में मधुर हैं।

अतः चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी मांसाहार मानव शरीर के लिए लाभकारी है। वैसे भी यह मानव–प्रकृति के अनुकूल है। इसके गुणों को जानकर ही आर्य समाज का एक वर्ग (कॉलेज पार्टी) मांसाहारी रहा है। (हिन्दू धर्मकोश, राजबली पाण्डे, पृ0 91) आज भी दुनिया में ऐसे भू–भाग हैं, जहां भोजन के रूप में मांस ही उपलब्ध है। जीवों के कथित प्रेमियों को चाहिए कि वे निर्दोष इन्सानों के संहार को रोकने में अपनी ऊर्जा लगाएं, ताकि उनका श्रम मानवता कि हित में लग सके।

("कान्ति" फ़रवरी 2012 से गृहीत)

❖❖❖

जगनायक............

कुछ देर बाद उम्मे मअ़बद के शौहर आए, खेमे में दूध का बरतन भरा देख कर हैरान हो गए कि यह कहां से आया, उम्मे मअ़बद ने कहा कि एक बाबरकत शख़्स यहां आये थे और यह दूध उनके मुबारक कदमों के आने का नतीजा है, बोले कि यह तो वही कुरैश के साहब मालूम होते हैं जिनकी मुझे तलाश थी, अच्छा ज़रा उनकी सिफ़त (विशेषता) बयान करो, उम्मे मअ़बद बोलीं: "मैंने एक शख़्स को देखा, जिसकी नज़ाफ़त (सफ़ाई–सुथराई) नुमायां, जिसका चेहरा ताबां (प्रकाशमान) और जिसकी बनावट में तनासुब था, पवित्र चेहरे वाले, अच्छे स्वभाव वाले, न मोटापे का ऐब, न दुबलेपन का नुक़्स, न पेट निकला हुआ, न सर के बाल गिरे हुए, चेहरा बारोब, शरीर स्वस्थ, क़द मुनासिब, आँखें सुरमगीं (सुरमा लगी) थीं, कुशादा और सियाह थीं, पलकें घनी और लंबी थीं, पुर वक़ार खामोश दिलबस्तगी लिए हुए, बात मीठी और साफ़, न कम बोलने वाले न ज़्यादा बोलने वाले, गुफ़्तगू इस अन्दाज़ की जैसे पिरोए मोती, दो नर्म व नाजुक शाखों के दरमियान एक शाख़ ताज़ा, जो देखने में खुश मन्ज़र, साथी उनके गिर्द व पेश (आगे–पीछे) रहते हैं, जो कुछ व फरमाते हैं वह सुनते हैं, जब हुक्म देते हैं तो तामील के लिए झपटते हैं, मखदूम व मुताअ़ (जिनकी सेवा की जाए और जिनका आज्ञापालन किया जाए), न बात करने में आलसी न बेकार बात करने वाले"।

यह सिफ़त (विशेषता) सुनकर वह बोले कि यह तो ज़रूर साहबे कुरैश हैं और मैं उनसे ज़रूर जा मिलूंगा[1]।

बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रहबर (मार्गदर्शक) ने आप और आपके साथियों को साथ लेकर अपना सफर जारी रखा, यहां तक कि वह कुबा तक जो मदीना शहर से लगभग तीन किलो मीटर दक्षिण की ओर है पहुँच गए।

---

1. मुसतदरक हाकिम, 3–9 तब्क़ात इब्ने सअ़द 1/230, ज़ादुल मआद 3/56

❑❑

औरत के लिए बनाव-श्रृंगार

इस्लाम और ज़ीनत

—मुफ्ती मुहम्मद कमालुद्दीन राशदी —हिन्दी लिपिः हाशमा बानो

ज़ेब और ज़ीनत (बनाव-श्रृंगार) औरत का फितरी हक़ है। मेकअप करना और बनाव श्रृंगार करना उसकी फितरत के मुताबिक हो, क्योंकि हर औरत चाहती है कि वह खूबसूरत नज़र आये। इस्लाम औरत की इस फितरी ख्वाहिश के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह यह ज़रूर चाहता है कि उसका मुज़ाहरा (दिखावा) हर तरफ से सिमट कर सिर्फ एक शख्स पर एक मर्द के सामने ही किया जाये। वही मर्द जो उसका शरीके हयात (पति) और ज़िन्दगी का हम सफर है।

हर किस्म का बनाव-श्रृंगार और हर किस्म की खुश्बू उसी शौहर के लिए इस्तेमाल की जाए। इसलिए कि हदीस शरीफ में आया है "जो औरत इत्र लगा कर बाहर निकले और उसका गुज़र ऐसे लोगों पर हो जो उसकी खुश्बू महसूस करें तो वह औरत ज़ानिया जैसी गुनहगार होगी"। क्योंकि हुस्न व जमाल छुप सकता है लेकिन इत्र और खुश्बू को कौन रोक सकता है, खुश्बू फिज़ा में तहलील हो कर आगे बढ़ेगी, उससे मर्दों के जज़्बात भड़केंगे।

हक़ीकत यह है कि इन कीमती नसीहतों से बेपरवाही और गफलत ने बेशुमार झगडे-लड़ाइयाँ और मियाँ-बीवी के दर्मियान तफरक़ा और अलगाव पैदा कर रखा है, इसलिए खातून को आधुनिक फैशन और खिलाफे शरह ज़ेब व ज़ीनत की बुरी वबा से बचना चाहिए।

ज़ेब व ज़ीनत में फिज़ूल खर्ची-

ज़ेब व ज़ीनत कीजिए लेकिन उसमें इतना भी हद से आगे न बढ़े कि अपने बजट का भी ख़्याल न रहे और अपने वालिद या अपने शौहर के खून पसीना की कमाई को बेदर्दी से ज़ाया कर दे। और नये से नये फैशन के कपड़े और मंहगे से मंहगे जेवरात कम अज कम ऐसे हालात में तो इस्तेमाल न करे जब कि आप कि दीगर मुसलमान बहनें सूखी-रोटी के लिए भी तरस रही हैं।

खातून खास करके नव-जवान लड़कियों ने गैर क़ौमों को देख कर ऐसे-ऐसे ख़र्च बढ़ा लिए हैं कि न तो वह ज़रूरी खर्च है और न इन पर ज़िन्दगी मौकूफ है। फैशन की बला ऐसी सवार होती है और कर्ज पर कर्ज़ बढ़ता जाता है। फैशन की यह बेजरूरतें जो यूरोप वालों ने निकाल दी हैं, मुसलमनान खातून के लिए किसी तरह भी उनके ख्याल में पड़ना और उनको इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। देखने में खुशहाल, दिल में परेशान, आमदनी मअकूल, मगर गुजारा मुश्किल, इतमिनान और बेफिक्री का नाम नहीं, मोहब्बत के जोश में लड़कियों कि परवरिश शुरु ही से इस तरह होती है कि बचपन ही से उनको ज़्यादा खर्चों की आदी बना देती है। और वह फैशन की इस कद्र शौकीन बन जाती हैं कि शादी के बाद शौहर पर बोझ बन जाती हैं। शौहर की सारी आमदनी फैशन लिबास और जेवर के नज़र हो जाती है और ज़्यादा बनाव-श्रृंगार की

शेष पृष्ठ..........39 पर

इस्लाम के अलावा कोई.........

लेकिन आज मुसलमान की ज़िन्दगी बदल गयी है, वो इस बरतर दीन की तरफ़ अपने को जोड़ता है लेकिन दीन ज़िन्दगी के अलग–अलग मसलों में जिस तरह से काम करने की मांग करता है वो उससे कोसों दूर है, और वो अपनी ज़िन्दगी के गुज़ारने और अपनी परेशानियों के हल करने में यहां तक कि दअवत व जिहाद के सिलसिले में भी उसकी सोच और काम और तरीक़ा को अपना लेता है जो दअवत व जिहाद के दुश्मन उसके लिए पेश करते हैं। इसका अल्लाह की तरफ़ दअवत देना भी आजमाइश से ख़ाली नहीं, इसकी दावत वर्तमान गैर इस्लामी दावतों से प्रभावित है और वो अपने जीवन में वही साधन अपनाता है जो वर्तमान समय के बातिल कामों के फैलाने वाले अपनाते हैं। और अपने काम को अन्जाम देने में उन्हीं लीडरों और मार्गदर्शकों की पैरवी करता है जिनका अख़लाक़ व दीन से किसी प्रकार का सम्बंध नहीं है, इसलिए वर्तमान समय का मुसलमान इस्लामी शिक्षाओं के बजाए ग़ैर इस्लामी काम पर अमल करता है। इसलिए इसकी जद्दोजहद के परिणाम अलग–अलग हैं।

इससे भी ज़्यादा अजीब बात ये है कि मुसलमान इन मुश्किलों को हल करने के लिए जो उसके दुश्मनों की पैदा की हुई है, वो अपनी ज़िन्दगी के रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए उसी तरीके को अपनाता है जिसको उसके विरोधियों ने उसके लिए बताया है। ये एक ऐसा गुनाह है जो माफ़ी के क़ाबिल नहीं। और यही नाफ़रमानी मुसलमानों की हार व बदहाली और ज़िल्लत व मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण है। ❑❑

यज़ीद के घर अल्लाह का वली

इदारा

मुआविया सानी बिन यज़ीद (64 हि0, 685 ई0)

यज़ीद की मौत के बाद रबीउल अव्वल 64 हि0 में उसका नव जवान बेटा मुआविया सानी तख़्त पर बैठा, उस वक्त उसकी उम्र 21 साल की थी, लेकिन बड़ा दीनदार और नेक था, यज़ीद के ज़माने में जो हवादिस (घटनाएं) व वाकिआत पेश आए, उन्हें देख कर मुआविया का दिल हुकूमत, राज–पाट से फिर गया था, इसलिए तीन महीने के बाद वह खिलाफ़त से दस्बरदार हो गया और मुसलमानों के सामने तकरीर की "मुझ में हुकूमत का भार उठाने की ताकत नहीं है, मैंने चाहा था कि अबू बक्र की तरह किसी को अपना जानशीन बना दूँ या उमर की तरह 6 आदमियों को नामज़द करके उनमें से किसी एक का इन्तिख़ाब, शूरा (पंचायत) पर छोड़ दूं, लेकिन न तो उमर जैसा कोई नज़र आया और न उस तरह के 6 आदमी मिले, इसलिए मैं इस मन्सब से दस्तबरदार होता हूं, तुम लोग जिसे चाहो अपना ख़लीफा बना लो"।

हुकूमत से दस्त बरदारी के बाद मुआविया सानी ख़ाना नशीन हो गया और चन्द महीनों के बाद इन्तिकाल कर गया। उसकी सीरत दस्त बरदारी के वाकिआ से ज़ाहिर है, हज़रत इमाम हसन रज़ि0 के बाद दस्तबरदारी की यह दूसरी मिसाल थी।

आदर्श शासक

—नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

दो दोस्त खाना खाने के के लिए बैठे, दस्तरख़्वान लगा और खाना शुरु हुआ तो दो–एक निवाला मुँह में डालते ही एक दोस्त ने हाथ खींच लिया। दूसरे ने पूछा, क्यों भाई क्या बात है! दोस्त ने कहा, अरे यार! क्या बताऊँ, तुम्हारा खाना तो एक दम रूखा–फीका है। दोस्त ने न केवल खराब खाने का शिक्वा किया बल्कि ये भी कहा कि यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं खाना घर से मंगवा लूँ? दूसरे मेज़बान दोस्त ने कहा, नहीं यार! ये सही नहीं है। फिर थोड़ी देर रुक कर कहा, मैं जानता हूँ कि कौन सा खाना बढ़िया है, कौन सा खाना रूखा–सूखा है, यदि मैं चाहूँ तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता।

दो दोस्तों के बीच की ये बातें चौदह सौ साल पहले की हैं, लेकिन वास्तविकता से इतनी चिमटी हुई कि हज़ारों साल गुज़रने के बाद भी ज़िन्दगी से बहुत क़रीब हैं, और हो न क्यों? हमारे पूर्वजों की कथनी और करनी ऐसी थी कि जिसकी प्रासंगिकता का इन्कार आज भी नहीं है।

खैर! बात रूखे–सूखे खाने की हो रही थी। उस रूखे–सूखे खाने वाले मेज़बान का नाम अरब साम्राज्य के महान शासक हज़रत उमर रज़ि0 था, जो चाहते तो दुनिया की सारी नेअमतों को अपने दामन में समेट सकते थे, बेहतरीन से बेहतरीन खाना खा सकते थे, लेकिन अल्लाह के डर और इस्लामी शिक्षा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उन्हें हर समय ये डर लगा रहता था कि यदि किसी दिन अच्छा खाया–पिया और मेरी प्रजा भूख से बिलखती रही तो फिर मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूँगा। इस तरह के डर ने उन्हें कभी पेट भर खाने और जी भर सोने न दिया।

हज़रत उमर रज़ि0 स्वयं सादगी के उच्च उदाहरण थे, बल्कि अपने शासन के अधिकारियों–कर्मचारियों को हरदम सादगी पर डटे रहने की शिक्षा देते थे।

अज़रबैजान के गवर्नन उत्बा बिन फरकद के पास हज़रत उमर रज़ि0 ने आवश्यक निर्देश भेजे और विशेष रूप से लिखा कि "ऐश व आराम की ज़िन्दगी से परहेज़ करो, रेशम के कपड़े न बनाओ, बहुदेववादियों का वस्त्र न धारण करो।

एक बार यही अज़रबैजान के गवर्नर हज़रत उत्बा बिन फरकद ने हज़रत उमर रज़ि0 के पास हलवे के दो डिब्बे भेजे। हज़रत उमर रज़ि0 ने हलवा चखा और कहा, ये तो बहुत मज़ेदार है! फिर हलवा लाने वाले से पूछा, क्या उत्बा की सेना के सभी लोग हलवा खाते हैं? लाने वाले ने कहा, जी नहीं। हज़रत उमर रज़ि0 ने कहा, हुकूमत अल्लाह की अमानत है, ये ऐश व आराम और शान व शौकत के लिए नहीं है, और न ही दुनियावी लज़्ज़तों मे फंस कर रह जाने के लिए है।

फिर तुरन्त ने हज़रत उत्बा को पत्र लिखा कि "ये हलवा जो तुमने भेजा है, न तुम्हारी मेहनत से मिला है और न तुम्हारे माँ–बाप की छोड़ी हुई जायदाद की आमदनी से

शेष पृष्ठ..........39 पर

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिजरत का बयान

–हज़रत मौलाना अली मियाँ रह0 –अनुवाद: मु0 हसन अन्सारी मरहूम

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ कुरैश की साज़िश- जब कुरैश ने देखा की मदीना में अल्लाह के रसूल के इतने अधिक समर्थक व मददगार हो गए हैं, और वहां कोई ज़ोर नहीं चल सकता तो उन्होंने सोचा कि अगर आप मदीना गए तो फिर आप पर उनका कोई बस नहीं चल सकेगा। यह सोच कर वह सब लोग 'दारुल नदवा' में (जो असल में कुसैई बिन किलाब का घर था और कुरैश अपने सारे महत्वपूर्ण मामले यहीं तय करते थे) जमा हुए और इस समस्या पर विचार किया गया। इस मौक़े पर कुरैश के सब प्रमुख सरदार मौजूद थे।

आख़िर में इस बात पर सभी सहमत हुए कि हर क़बीले से एक बहादुर ऊँचे वंश का जवान चुना जाए और वह सब मिलकर एक बारगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर हमला करें। इस तरह यह ख़ून सारे क़बीले में बंट जाएगा और किसी एक पर इसकी ज़िम्मेदारी न होगी, और बनी अब्द मनाफ सारी क़ौम से जंग का ख़तरा मोल न लेंगे। इसके बाद अलग–अलग हो गये। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस साज़िश से आगाह कर दिया। आपने हज़रत अली रज़ि0 को हुक्म दिया कि वह आपकी चादर ओढ़ कर आपके बिस्तर पर सो जाएं। आपने यह भी फरमाया कि तुमको कोई नुक़सान बिल्कुल न पहुंचेगा।

इधर यह पूरी पार्टी आपके दरवाज़े पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। आप बाहर आए और थोड़ी से मिट्टी अपने हाथ में ले ली। उसी समय अल्लाह ने आपकी ताक में खड़े कुरैश की निगाह ख़त्म कर दी। आप यह मिट्टी उनके सरों पर फेंकते हुए और सूरः यासीन की आयतें तिलावत करते हुए साफ उनके सामने से गुज़र गए और किसी को पता भी न चला।

इसी बीच किसी आने वाले ने पूछा कि तुम लोग किस चीज़ के इंतेज़ार में खड़े हो? उन्होंने कहा– मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इंतेज़ार में। उसने कहा ना मुरादो! वह तो जा चुके हैं। उन लोगों ने अंदर झांक कर देखा, कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा सो रहा है। उनको विश्वास हो गया कि हो न हो यह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। सुबह हुई तो हज़रत अली रज़ि0 बिस्तर से उठे। यह देखकर कुरैश लज्जित हुए और निराश होकर वापस हो गए।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मदीना हिजरत–

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के पास गए, और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे यहां से हिजरत करने की इजाज़त प्रदान की है। हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने कहा– या रसूलुल्लाह! मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आपने

फरमाया— हां, तुम ही मेरे साथ चलोगे। हज़रत अबू बक्र रज़ि0 यह सुनकर खुशी से रो पड़े। इसके बाद उन्होंने दो सवारियां पेश कीं। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अरीक़त को गाइड के तौर पर मेहनताने पर साथ ले लिया।

विचित्र विरोधाभास-

कुरैश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कठोर दुश्मनी के बावजूद आपकी अमानतदारी, सच्चाई और आपकी उदारता एवं विशालता पर पूरा भरोसा करते थे। मक्का में अगर किसी को अपनी चीज़ खोने या लुट जाने का डर होता था तो वह अपनी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास रखता था। इस तरह आपके पास अनेक धरोहर जमा हो गयी थीं। आपने हज़रत अली रज़ि0 को इसका ज़िम्मेदार बनाया कि वह उस समय तक मक्का में रहें, जब तक यह अमानतें आपकी तरफ से अदा न कर दी जाएं। कुर्आन में अल्लाह पाक का इरशाद है:— अनुवाद: "हमको मालूम है कि इन (काफ़िरों) की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं (मगर) यह तुम्हें झूठा नहीं कहते, बल्कि ज़ालिम अल्लाह की आयतों से इन्कार करते हैं।" (सूरः अनआम—33)

हिजरत से एक सबक़-

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिज़रत से सबसे पहली बात यह साबित होती है कि दावत (प्रचार) व विश्वास आस्था की ख़ातिर हर प्यारी से प्यारी चीज़ को बिना झिझक कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन दावत और आस्था को किसी प्यारी चीज़ को हासिल करने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता।

मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके साथियों की जन्म—भूमि होने के अलावा उनके लिए बड़ा आकर्षण रखता था क्योंकि इसी शहर में अल्लाह का घर "काबा" है जिसकी मुहब्बत उनकी नस—नस में रच—बस गई थी, लेकिन इनमें से कोई एक बात भी उनके रास्ते में रुकावट न बन सकी। मानव स्वभाव की एक सच्ची झलक हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उस वाक्य में मिलती है जो आपने हिजरत करते समय मक्का नगरी को सम्बोधित करते हुए कहा था। आपने कहा, "तू कितना अच्छा शहर है, और मुझे कितना प्यारा है, अगर मेरी क़ौम मुझे यहां से न निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह वास न करता।"

यह अल्लाह के इस फरमान पर अमल था। अनुवाद: "ऐ मेरे बन्दो! जो ईमान लाए, ज़मीन विशाल है, तो मेरी ही इबादत करो। (सूरः अन्कबूत—56)

ग़ारे सौर की तरफ़-

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र रज़ि0 मक्का से छिपते—छिपाते रवाना हुए। अबू बक्र रज़ि0 ने अपने लड़के अब्दुल्लाह को निर्देश दिया कि वह ज़रा ख़बर रखें कि उनके बारे में क्या साज़िश रचते हैं, और अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा को आदेश दिया कि दूध पहुंचा दिया करें। उनकी बेटी अस्मा खाना पहुंचाया करती थीं।

अनोखा प्यार-

मुहब्बत की किरन जन्नत की वह रौशनी है जिससे आत्मा रौशन होती है। वह आदिकाल से जल रही है और अपने आशिक से किसी समय ग़ाफिल नहीं होती, और उसके लिए छोटे से छोटे ख़तरे को महसूस कर लेती है। इस सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम के साथ हज़रत अबू बक्र रज़ि0 का कुछ यही हाल था। इसलिए इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ार की तरफ रवाना हुए तो अबू बक्र रज़ि0 चलने में कभी आपसे आगे रहते कभी पीछे चलने लगते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको महसूस कर लिया और कहा कि अबू बक्र! क्या बात है कभी तुम मेरे पीछे चलते हो और कभी आगे? उन्होंने कहा— या रसूलुल्लाह! मुझे जब यह ख़्याल आता है कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है तो मैं पीछे चलने लगता हूं, फिर किसी घात का ख़तरा होता है तो आगे आ जाता हूं। जब दोनों ग़ार तक पहुंच गये तो हज़रत अबू बक्र ने कहा— या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप ज़रा ठहरें, मैं ग़ार को देखभाल लूं और साफ कर लूं। इसके बाद वह ग़ार के अन्दर गए, उसे साफ करके सुराख़ आदि बन्द करके बाहर आए। उस समय उनको याद आया कि एक छेद बाक़ी रह गया है, जिसे वह ठीक से नहीं देख सके, फिर उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप ज़रा ठहरें, उसको देख लूं। फिर उसके अन्दर जाकर इत्मीनान किया। जब यक़ीन हो गया तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! अब आप अन्दर उतर आएं, अतः आप ग़ार के अन्दर उतरे।

आसमानी मदद— जब दोनों ग़ार में उतरे तो अल्लाह ने मकड़ी को भेजा, उसने गुफा और ग़ार के मुहाने पर जो पेड़ था, उसके बीच एक जाल बुन दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को छिपा लिया। इसी के साथ अल्लाह ने दो जंगली कबूतरियों को भेज दिया जो ऊपर फड़फड़ाती रहीं, फिर आकर वहां बैठ गयीं।

(इब्ने कसीर खण्ड 2 पृ0 240)

मानव इतिहास का सबसे नाज़ुक पल— इधर मुश्रिकों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पीछा किया। यह मानवता के इतिहास का सबसे निर्णायक पल था, या तो एक ऐसी बदनसीबी सामने थी जिसकी कोई सीमा नहीं, या एक ऐसी खुशनसीबी का दरवाज़ा खुलना था जिसकी कोई सीमा न थी। इंसानियत ने बेचैनी से अपनी सांस रोक ली थी और हैरत से उन जासूसों और पीछा करने वालों को फटी हुई आँखों से देख रही थी जो उस समय ग़ार के मुहाने पर खड़े थे और सिर्फ इतनी देर बाक़ी थी कि उनमें से कोई चीज देख ले, लेकिन अल्लाह की क़ुदरत, उसकी महिमा बीच में आ गई और वह धोखा खा गए। उन्होंने देखा कि गुफ़ा का मुख मकड़ी के जाले से बन्द है तो वह सोच भी न सके कि अन्दर कोई हो सकता है।

इस घटना की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है— अनुवादः "तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन उतारी और उनकी ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नज़र नहीं आते थे।" (सूरः तौबा—40)

इस पल हज़रत अबू बक्र की निगाह ऊपर उठी तो उन्हें मुश्रिकों के पैर नज़र आए। हज़रत अबू बक्र ने कहा— "या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! अगर इनमें से किसी ने एक क़दम भी आगे बढ़ाया तो हमें देख लेगा।" आपने जवाब दिया— उन दो के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह है। इसी

सिलसिले में यह आयत उतरी।

अनुवादः "(उस समय) दो ही लोग थे, जब वह दोनों ग़ार में थे, उस समय पैग़म्बर अपने साथी को तसल्ली देते थे कि ग़म न करो अल्लाह हमारे साथ है"। (सूरः तोबा–40)

आपका सुराक़ा ने पीछा किया– अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा अबू बक्र ने ग़ारे सौर में तीन रातें गुज़ारीं, फिर दोनों आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्लाह बिन अरीक़त के साथ, जिनको आपने रास्ता बताने के लिए साथ रखा था, समुद्र तट की तरफ चले। इधर कुरैश ने यह एलान कर दिया था कि जो व्यक्ति अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे सौ ऊँटनियां इनाम में दी जाएंगी। सुराक़ा इनाम की लालच में आपका पीछा करने पर तैयार हो गया। एक घोड़े पर सवार होकर आपके पद चिन्हों की मदद से उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पीछा शुरू किया, लेकिन उसके घोड़े को अचानक ठोकर लगी और वह गिर पड़ा, लेकिन सुराक़ा ने अब भी हार न मानी और आगे बढ़ता रहा। दूसरी बार उसके घोड़े ने फिर ठोकर खाई और वह गिरा, फिर सवार हुआ और पीछा शुरू किया। यहां तक कि यह लोग उसको सामने नज़र आ गए, और तब तीसरी बार घोड़े ने सख़्त ठोकर खाई और उसके दोनों अगले पैर ज़मीन में धंस गए। सुराक़ा गिर पड़ा, इसी के साथ आंधी के रूप में वहां से धुआं भी उठा।

सुराक़ा ने जब ये देखा तो समझ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की हिफाज़त में हैं, और उन पर विजय पाना कठिन है। सुराक़ा ने जोर से आवाज़ दी और कहा कि मैं, सुराक़ा बिन जोश हूं। मुझे बात करने का मौक़ा दीजिए। मुझसे आप लोगों को कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबू बक्र से कहा, इससे पूछो कि वह हमसे क्या चाहता है? सुराक़ा ने कहा कि आप एक तहरीर मुझे दे दें जो हमारे आपके बीच एक निशानी के तौर पर रहे। आमिर बिन फुहैरा ने हड्डी या झिल्ली पर एक तहरीर लिख कर उसके हवाले कर दी।

एक भविष्यवाणी– अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिज़रत पर मजबूर हैं, मक्का से निकाले जा रहे हैं, दुश्मन हर तरफ घात में हैं, आपका पीछा किया जा रहा है, ऐसी दशा में आपकी निगाह उस दिन की तरफ जाती है जिस दिन आपके गुलाम किस्रा का ताज और क़ैसर का तख़्त अपने पैरों से रौंदेंगे और ज़मीन के ख़ज़ानों के मालिक होंगे। आपने इस घटाटोप अंधेरे में उस रौशनी की भविष्यवाणी की जिसकी पौ निकट भविष्य में फटने वाली थी। सुराक़ा से कहा–सुराक़ा! उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब किस्रा के कंगन तुम अपने हाथ में पहनोगे?।

क़ुर्आन पाक में अल्लाह का इरशाद है– अनुवादः "वही तो है जिसने अपने पैग़म्बर को हिदायत और दीने हक़ देकर भेजा ताकि उसको (दुनिया के) तमाम दीनों पर ग़ालिब करे गरचे काफिर ना खुश ही हों।"

(सूरः तौबा–33)

कमज़ोर निग़ाह तथा कम अक़्ल के लोगों ने इसे अनहोनी बात समझी, लेकिन आपकी निगाह दूर को क़रीब से देख रही थी।

शेष पृष्ठ..........39 पर

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः एक शख्स ने मस्जिद के लिए एक जगह दी, पैसा न होने के कारण उस पर इमारत न बन सकी, मगर जगह घेर कर और छप्पर डाल कर नमाज़ पढ़ी जाने लगी, एक साल के बाद पैसों का इन्तिजाम हुआ, अब लोगों की राय है कि बेसमेन्ट में गोदाम बना दिया जाए, उसके ऊपर मस्जिद बना दी जाए क्या ऐसा करना दुरूस्त है ?

उत्तरः जो ज़मीन मस्जिद के लिए वक्फ हुई और उस पर नमाज़ पढ़ी जाने लगी चाहे इमारत न बनी हो वह तहतुस्सरा से आसमान तक मस्जिद है उसके नीचे दूसरे कामों के लिए तहखाना बनाना दुरूस्त नहीं। हाँ अगर पहले ही से नियत हो कि नीचे गोदाम रहेगा ऊपर मस्जिद तो फिर गोदाम बनाना दुरूस्त हो सकता है।

प्रश्नः अगर मस्जिद के क़रीब के हिस्से में जगह न हो तो क्या मस्जिद के ऊपरी हिस्से में इमाम के रहने के लिए फैमिली क्वार्टर बनाना दुरूस्त है?

उत्तरः जो जगह मस्जिद हो जाती है वह तहतुस्सरा से आसमान तक मस्जिद के हुक्म में आती है, लिहाजा मस्जिद के ऊपरी हिस्से में फैमिली क्वार्टर बनाना जाइज नहीं है। अलबत्ता मस्जिद का वह हिस्सा जो नमाज़ के लिए नहीं है बल्कि दूसरे जरूरियात के लिए है, जैसे बैतुलखला, वजूखाना वगैरह तो उस के ऊपर फैमिली क्वार्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका हुक्म मस्जिद का नहीं है।

(रद्दुल मुख्तार 228/2)

प्रश्नः कुछ मुसलमान एक जगह खरीद कर मस्जिद बनाना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग यह है कि ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकानें, और इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर बनाया जाए और ऊपर की मन्जिलें नमाज़ के लिए खास हों, क्या इस तरह मस्जिद बनाना शरअन दुरूस्त है?

उत्तरः नई जगह में मस्जिद बनाते वक्त नीचे दुकानें और फैमिली क्वार्टर बनाना और ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना शरअन दुरूस्त है, लेकिन बनी हुई मस्जिद में कोई तब्दीली करके नीचे या ऊपर दुकान या फैमिली क्वार्टर बनाना जाइज नहीं है।

(रद्दुल मुख्तार 347/6)

प्रश्नः एक साहब ने मस्जिद के लिए एक जमीन वक्फ़ कर दी और उस पर कुछ दिनों से नमाज़ जमाअत के साथ होने लगी, अब उसकी बाकाएदा तअमीर हो रही है, मस्जिद के जिम्मेदार कहते हैं कि आधी ज़मीन में दो मन्ज़िला मस्जिद बना दी जाए और आधी में बच्चों की दीनी तअली के लिए मकतब बना दिया जाए, क्या ऐसा करना दुरूस्त है जब कि पूरी ज़मीन में काफी दिनों से जमाअत से नमाज़ होती रही है।

उत्तरः जब वह पूरी जमीन शुरू ही से मस्जिद के लिए वक्फ की गई है, और उस पर नमाज़ जमाअत से होती रही है तो यह पूरी जमीन मस्जिद है, चाहे इस पर इमारत ना रही हो, अब इसके किसी हिस्से को मकतब बनाना जाइज़ नहीं है। (फतावा हिन्दिया 305, 320/5)

प्रश्नः मस्जिद के दीदार के

लिए अगर गैर मुस्लिम मस्जिद में आये तो क्या शरअ़न इसकी इज़ाजत है?

उत्तरः अगर मस्जिद का एहतिराम बाकी रखते हुए गैर मुस्लिम दीदार की गरज से मस्जिद के अन्दर दाखिल हो तो शरअन इसकी इजाजत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर में गैर मुस्लिमों के वफूद आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिलने आते थे तो उनको मस्जिद में ठहराया भी जाता था, और बाज़ मुश्रिक कैदियों को मस्जिद में रखा गया था।

(सहीह बुखारी 462)

प्रश्नः मुसलमानों की शादियों में गैर मुस्लिम भी शरीक़ होते हैं, अक्सर मस्जिद में निकाह होता है तो गैर मुस्लिम भी मस्जिद में निकाह की मजसिल में शिरकत के लिए आ जाते हैं, क्या शरअन इसकी इजाजत है?

उत्तरः मुसलमानों के निकाह की मजलिस में शिरकत के लिए आये हुए गैर मुस्लिम हज़रात मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है, शर्त यह है कि मस्जिद की बेहुरमती न हो बल्कि उसका पूरा एहतिराम रखा जाए। (बुखारी 462)

प्रश्नः नमाज़ के वक्त में मस्जिद में बीड़ी–सिगरेट और माचिस वगैरह जेब में रख कर ले जाना कैसा है, क्या यह मस्जिद के आदाब के खिलाफ नहीं है?

उत्तरः बीड़ी और सिगरेट पीना मकरूह है, लेकिन यह चीज़ें नापाक नहीं हैं, इसलिए नमाज़ की हालत में इन चीज़ों का जेब में होने से नमाज पर कोई असर नहीं होगा, अलबत्ता इन चीज़ों में चूंकि बू होती है, इसलिए इनका मस्जिदों में ले जाना आदाबे मस्जिद के खिलाफ है, लिहाजा अच्छा यह है कि बीड़ी–सिगरेट मस्जिद में न ले जाया जाए। (दुर्रुलमुख्तार अला रद्दुलमुख्तार 240/5)

प्रश्नः मस्जिद के सहन में बीड़ी या सिगरेट पीना कैसा है, जब कि उसकी बदबू मस्जिद के अन्दर जाती रहती है?

उत्तरः अगर बीड़ी या सिगरेट का धुआँ और बदबू मस्जिद में पहुंचती हो तो ऐसा करना मकरूह है, आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने प्याज या लहसुन खा कर मस्जिद में आने से मना फरमाया, क्योंकि यह चीजें नमाज़ियों और मलाइका के लिए तकलीफ देह होती हैं, लिहाजा मस्जिद के अन्दर या सहन में बीड़ी सिगरेट पीना मकरूह है। (दुर्रुलमुख्तार अला रद्दुलमुख्तार 240/5)

प्रश्नः निकाह में आम तौर पर रवाज यह है कि लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ बारात लेकर जाते हैं, इसकी शरअई हैसियत क्या है? अगर चन्द लोग मसलन पाँच दस अफराद लड़की के घर जाएं तो क्या यह बारात कहलाएगी?

उत्तरः बारात का जो तरीक़ा आम तौर पर राइज है, इस्लामी शरा में इसका वजूद नहीं है, अलबत्ता मजलिसे निकाह में शिरकत की दावत देना सुन्नत से साबित है और चन्द अफराद अगर लड़की के घर निकाह करने जाएं तो इसको बारात नहीं कह सकते हैं।

प्रश्नः निकाह के बाद रुख़सती कब तक होनी चाहिए, उसी दिन या दो दिन बाद या चन्द महीनों या साल भर के बाद भी रुख़सती हो सकती है? शरअ़ में क्या हुक्म है? आगाह करें।

उत्तरः शरीअ़ते इस्लामी में निकाह के बाद रुख़सती के दिन की कोई तहदीद (हद) नहीं है, बल्कि तरफैन की सुहूलत और मसलिहत पर मौकूफ़ है, जैसी मसलहत हो उसकी इजाज़त है, अलबत्ता शौहर को निकाह के बाद

रुखसती के मुतालबे का हक है।

(फतावा हिन्दिया 287/1)

प्रश्नः दावते वलीमा की मुद्दत और हद क्या है? क्या निकाह के दूसरे दिन ही वलीमा जरूरी है? या बाद में गुंजाइश है? अगर गुंजाइश है तो कब तक?

उत्तरः अस्ल तो यही है कि वलीमा की दावत रुखसती के तीन दिन तक हो, उसके बाद नहीं, लेकिन अगर इन्तिज़ामी दुश्वारी हो तो तीन दिन के बाद वलीमा करने में शरअन कोई कबाहत नहीं है।

(फतावा हिन्दिया 343/5)

प्रश्नः मुसलमान लड़के और लड़की दो मुस्लिम गवाहों की मौजूदगी में गैर मुस्लिम जज के सामने ईजाब व क़बूल करें तो क्या निकाह हो जाएगा? और यह शरअ के खिलाफ तो नहीं है? क्या इस तरह के निकाह से हुकूके ज़ौजियत हासिल होंगे?

उत्तरः गैर मुस्लिम जज के सामने दो मुसलमान मर्द गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व क़बूल हो जाने से निकाह हो जाता है और ज़ौजियत (मियाँ–बीवी) के हुकूक भी हासिल हो जाते हैं, लेकिन निकाह का यह तरीका सुन्नत के खिलाफ है, निकाह का इस्लामी तरीका यह है कि निकाह एलान के साथ हो और मस्नून खुत्बा भी पढ़ा जाए।

प्रश्नः आज कल बाज़ शहरों में मुस्लिम खानदानों में भी यह रवाज हो रहा है कि मंगनी हो जाने के बाद लड़का और लड़की निकाह से पहले आजादाना मियाँ–बीवी की तरह मिलते हैं, माँ–बाप की तरफ से भी इजाज़त होती है, दोनों तफरीह के लिए भी निकलते हैं, क्या सिर्फ मंगनी के होने से दोनो मियाँ–बीवी की तरह आजादाना ज़िन्दगी गुज़ार सकते हैं?

उत्तरः मंगनी निकाह का वादा है, निकाह नहीं, इसलिए लड़का और लड़की दोनों का एक साथ आज़ादाना तफरीह करना और खलवत में रहना शरअन जाइज़ नहीं है। यह गैर इस्लामी और गैर शरई तरीक़ा है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। (दुर्रुल मुख्तार अला रद्दुल मुहतार 364/2)

प्रश्नः जिस लड़की के मुतअल्लिक निकाह का पैग़ाम दिया गया हो क्या लड़का उसे खुद देख सकता है या नहीं?

उत्तरः जिस लड़की के बारे में निकाह का पैग़ाम दिया गया हो अगर निकाह का इरादा है तो लड़का खुद अपनी मंगेतर को देख सकता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुगीरा बिन शोबा को उस वक्त अपनी मंगेतर को देखने की इजाज़त दी थी जब उन्होंने निकाह का पैग़ाम दिया था।

(तिर्मिज़ी)

प्रश्नः जिस लड़की से निक़ाह का इरादा हो और निकाह का पैग़ाम हो चुका हो तो क्या उस लड़की की तस्वीर खिंचवा कर मंगवाना और देखना लड़के और उसके घर वालों के लिए दुरुस्त है या नहीं?

उत्तरः तस्वीर खिंचाने की शरअन इजाज़त नहीं है, खुद देख ले या जाइज़ तरीके से इतमिनान हासिल करले।

प्रश्नः कोई मुसलमान मर्द किसी हिन्दू लड़की के साथ आर्य समाज मन्दिर में निकाह करे तो ऐसे निकाह का क्या हुक्म है?

उत्तरः गैर मुस्लिम औरत (काफिरा या मुश्रिका) के साथ किसी मुसलमान मर्द का निकाह हराम है, कुर्आन में इसकी सराहतन (स्पष्ट रूप से) मुमानियत आई है। (मुश्रिक औरत से निकाह न करो जब तक वह ईमान न ले आये–

अल बक़रः 221) लिहाज़ा गैर मुस्लिम औरत जब तक ईमान न लाए उससे निकाह हराम है।

प्रश्नः शौहर और बीवी दोनों पहले गैर मुस्लिम थे, फिर दोनों ईमान ले आए, क्या उनको दोबारा निकाह करना पड़ेगा? या पहला निकाह ही काफी है?

उत्तरः जब मियाँ–बीवी दोनों गैर मुस्लिम थे और अपने तरीक़े के मुताबिक मियाँ–बीवी हुए थे, फिर खुदा की तौफीक़ से दोनों मुसलमान हो गये तो दोबारा निकाह करना ज़रूरी नहीं, पहला निकाह ही काफी है। अब भी दोनों मियाँ–बीवी की तरह ज़िन्दगी गुज़ारेंगे। (हिदाया)

इस्लाम और ज़ीनत............

आदत डालने से तिलावते कुर्आन पाक, दुरूद शरीफ, असतग्फ़ार, दीनी मुआमलात में लगने की फुर्सत भी नहीं मिलती।

शौहर के चाहने के बावजूद बीवी अगर साफ़–सुथरी और ज़ेब व ज़ीनत अख्तियार न करे तो शौहर के लिए बीवी को डाँटने का शरई हक़ हासिल है।

फख्र करने की नियत से कपड़े पहनेंगी और बनाव श्रृंगार करेंगी तो गुनहगार होंगी। इसलिए इन बातों से बचना ज़रूरी है।

अल्लाह के रसूल............

"बेशक अल्लाह ख़िलाफ़े वादा नहीं करता" और ऐसा ही हुआ। जब हज़रत उमर रज़ि० के सामने किस्रा के कंगन, उसका पटका और ताज हाज़िर किया तो उन्होंने सुराक़ा को बुलाया और उनको यह पहनाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भविष्यवाणी शब्द ब शब्द पूरी हुई।

ख़ुश किस्मत इंसान– अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र रज़ि० अपने सफर के दौरान उम्मे माबद के पास से गुज़रे। उनके पास एक बकरी थी, जिसका दूध चारा–पानी की कमी की वजह से सूख गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके थनों पर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया और दुआ की। उसी वक़्त थन से दूध जारी हो गया। आपने दूध उम्मे माबद और अपने साथियों को पिलाया, यहां तक कि सबने ख़ूब जी भर के पिया। फिर आपने पिया और दोबारा दूहा, यहां तक कि बर्तन पूरा भर गया। जब अबू माबद अपने काम से वापस आए तो उम्मे माबद ने उनसे सारा हाल कह सुनाया और आपकी तारीफ की। यह सुनकर अबू माबद बोले "अल्लाह की क़सम! मुझे ये कुरैश के वही साहब मालूम होते हैं जिनकी कुरैश को तलाश है।"

गाइड ने दोनों को साथ लेकर सफर जारी रखा, यहां तक कि आप और हज़रत अबू बक्र मदीना के करीब 'कुबा' तक पहुंच गए। यह बात 12 रबिउल अव्वल सोमवार के दिन की है, और उसी से इस्लामी कलैण्डर हिजरी सन् शुरू होता है। (यह 24 सितम्बर सन् 622 ई0 की बात है)।

आदर्श शासक..................

तैयार हुआ है, बल्कि तुमने इसे मुसलमानों के खून–पसीने की कमाई से बनाया है। इसलिए उचित यही है कि तुम वही खाओ जो तुम्हारी सेना खा रही है, या फिर जो आहार तुम ले रहे हो उसे शेष लोगों को भी दो।

हज़रत उमर रज़ि0 के इस जीवन शैली से यही पता चला कि शासक को वही खाना, वही पीना, वही पहनना चाहिए जो समस्त जनता को उपलब्ध हो सके, नहीं तो ऐसा शासक शासन का अधिकार कदापि नहीं रखता।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

—डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

विद्रोह के बाद मालदीव के राष्ट्रपति का इस्तीफा–
एक न्यायाधीश की गिरफ्तारी के बाद भड़के जन आक्रोश और तीन हफ्ते से हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण मालदीव के राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद ने पद छोड़ दिया है। पुलिस के प्रदर्शनकारियों से हाथ मिला लेने और उनकी सेना के साथ हुई झड़प के बाद नशीद ने इस्तीफे की घोषणा की।

नशीद के इस्तीफे की खबर सुनकर लोग सड़कों पर उतर आए और खुशियाँ मनान लगे। उप राष्ट्रपति मुहम्मद वहीद हसन मालिक को नए राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके फौरन बाद सम्बन्धित न्यायाधीश को रिहा कर दिया गया।

नशीद ने टेलीफोन पर अपने संबोधन में कहा, "मैं ताकत के बल पर सत्ता में बने रहना नहीं चाहता। मैं देशवासियों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मेरे सामने सबसे बेहतर विकल्प यही है कि इस्तीफा दे दूँ।"

कौन हैं नये राष्ट्रपति–
कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हसन शीर्ष शिक्षा अधिकारी, सांसद, यूनीसेफ अधिकारी रह चुके हैं।

इससे पहले मुहम्मद वहीद बतौर यूनीसेफ अधिकारी अफगानिस्तान में तालिबान के पतन के बाद स्कूलों के पुर्ननिर्माण एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में सहायता की थी। वह मालदीव के पहले टीवी प्रस्तोता भी रह चुके हैं।

क्या हैं मालदीव में विद्रोह के कारण–
• अपराध न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश अब्दुल्ला मुहम्मद को उनके पद से हटाया
• आसमान छूती कीमतों, कथित कुप्रबंधन और बेकार के खर्च को लेकर भी लोगों में भारी गुस्सा
• इस्लामी कट्टरपंथी इजरायल से सीधे उड़ान के परिवहन मंत्रालय के फैसले से नाराज
• मुख्य विपक्षी दल डीक्यूपी ने नशीद पर यहूदियों, ईसाइयों के प्रभाव में रहने का आरोप लगाया।

मालदीव का घटना क्रम वहां का आंतरिक मामला– भारत ने हिंद महासागर के अपने पड़ोसी देश मालदीव में हुए घटनाक्रम को वहां का आंतरिक मामला बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मालदीव की जनता ही इस संबंध में फैसला करेगी। वहां पर मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित हैं।

पर्यावरण विद भी हैं नशीद–
पूर्व मानवाधिकार कार्यकर्ता मुहम्मद नशीद ने 2008 में हुए देश के पहले बहुदलीय चुनाव में तीन दशक से शासन कर रहे अब्दुल कय्यूम को हराया था। नशीद लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक कैदी रहे हैं और पर्यावरणविद् भी हैं। जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई समस्या से निपटने के लिए